दृष्टि The Vision

भारत 2018

सार-संग्रह



दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

राजस्थान पी.सी.एस. (RAS/RTS) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 33 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(33 बुकलेट्स) ₹10,500/-

बिहार पी.सी.एस. (BPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 25 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+ मुख्य परीक्षा)
(25 बुकलेट्स) ₹10,000/-

उत्तराखंड पी.सी.एस. (UKPSC) के लिये

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(28 + 8 बुकलेट्स)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28 Booklets) ₹10,000/-
सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(8 Booklets) ₹2,500/-
सामान्य अध्ययन + सीसैट (प्रा.+ मुख्य परीक्षा)	(28+8 Booklets) ₹11,000/-

Available

For UPSC Civil Services Exam (Prelims & Mains) – 2018

Self Learning Modules

Students may opt for following modules

- General Studies (Prelims)
- General Studies (Mains)
- General Studies (Prelims & Mains)

Dispatch Schedule

Prelims Module (GS + CSAT)

- Packet 1 *(4 Booklets)* 25 Dec. 2017
- Packet 2 *(5 Booklets)* 25 Jan. 2018
- Packet 3 *(6 Booklets)* 25 Feb. 2018
- Packet 4 *(5 Booklets)* 25 Mar. 2018

Mains Module

- Packet 1 *(4 Booklets)* 5 May 2018
- Packet 2 *(5 Booklets)* 5 Jun. 2018
- Packet 3 *(4 Booklets)* 5 Jul. 2018
- Packet 4 *(4 Booklets)* 5 Aug. 2018

General Studies

Prelims (17 GS + 3 CSAT Booklets)	₹8000/-
Mains (17 Booklets)	₹7000/-
Prelims + Mains (37 Booklets)	₹13500/-

Invitation Offer

- *Free Subscription of Online Test Series for Prelims 2018 worth ₹6,000*
- *Free Drishti Current Affairs Today Magazine with every dispatch*
- *Dedicated e-mail support for query resolution*

विस्तृत जानकारी के लिये कॉल करें
8130392354, 8130392356, 87501-87501, 011-47532596

भारत 2018

सार-संग्रह

दृष्टि पब्लिकेशन्स

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Website:
www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail :
booksteam@groupdrishti.com

प्रथम संस्करण- अप्रैल 2018

मूल्य : ₹ 250

प्रकाशक

दृष्टि पब्लिकेशन्स,
(A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.)
641, प्रथम तल,
डॉ. मुखर्जी नगर,
दिल्ली-110009

विधिक घोषणाएँ

- इस पुस्तक में प्रकाशित सूचनाएँ, समाचार, ज्ञान एवं तथ्य पूरी तरह से सत्यापित किये गए हैं। फिर भी, यदि कोई जानकारी या तथ्य गलत प्रकाशित हो गया हो तो प्रकाशक, संपादक या मुद्रक उससे किसी व्यक्ति-विशेष या संस्था को पहुँची क्षति के लिये ज़िम्मेदार नहीं है।
- हम विश्वास करते हैं कि इस पुस्तक में छपी सामग्री लेखकों द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई है। अगर कॉपीराइट उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो प्रकाशक को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- सभी विवादों का निपटारा दिल्ली न्यायिक क्षेत्र में होगा।
- © **कॉपीराइट:** दृष्टि पब्लिकेशंस (A Unit of VDK Publications Pvt. Ltd.), सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी अंश का प्रकाशन अथवा उपयोग, प्रतिलिपीकरण, ऐसे यंत्र में भंडारण जिससे इसे पुनः प्राप्त किया जा सकता हो या स्थानान्तरण, किसी भी रूप में या किसी भी विधि से (इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटो-प्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य प्रकार से) प्रकाशक की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जा सकता।
- एम.पी. प्रिंटर्स, बी-220, फेज़-2, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित।

दो शब्द...

प्रिय पाठको,

आपके समक्ष 'भारत-2018: सार-संग्रह' प्रस्तुत करते हुए एक बार फिर हमें हार्दिक खुशी हो रही है। गौरतलब है कि इसके पूर्व भी 'दृष्टि पब्लिकेशन्स' द्वारा वर्ष 2016 व वर्ष 2017 में 'भारत: सार-संग्रह' का प्रकाशन किया जा चुका है। आपसे प्राप्त उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं सहित विभिन्न एकदिवसीय परीक्षाओं में इन पुस्तकों ने महती भूमिका निभाई। आपकी सकारात्मक प्रतिक्रियाओं और प्रबल मांगों को ध्यान में रखकर ही यह नवीन पुस्तक आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि पूर्व की तरह यह भी अभ्यर्थियों की सफलता में मील का पत्थर साबित होगी।

यह पुस्तक भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'प्रकाशन विभाग' द्वारा प्रकाशित संदर्भ-ग्रंथ 'भारत-2018' का सार है। आप जानते ही हैं कि संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोगों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षाओं में इस पुस्तक के आधार पर अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यातव्य है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2017 में इस पुस्तक से सीधे-सीधे 15-20 प्रश्न पूछे गए थे। इस वज़ह से प्रत्येक उम्मीदवार इस पुस्तक को पढ़कर आत्मसात् कर लेना चाहता है; पर सच तो यह है कि ऐसा कर पाना अपने-आप में एक कठिन चुनौती है। एक ओर लगभग 800 पृष्ठों की यह पुस्तक अपने आकार के कारण पाठक को विचलित करती है; वहीं दूसरी ओर इसमें मौजूद भाषागत कठिनाइयाँ (और कहीं-कहीं तथ्यात्मक गलतियाँ) उसके तनाव को और बढ़ा देती हैं। हमारी टीम की कोशिश रही है कि सिर्फ कुछ पंक्तियाँ हटा कर संक्षेपण कर देने भर की औपचारिकता पूरी न कर 'भारत-2018' को सरल-सहज भाषा में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, हमारे संपादक समूह ने यह भी ध्यान रखा है कि अगर सरकारी अनुवाद में कोई तथ्यात्मक त्रुटि रह गई हो तो उसे भी सुधार दिया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पुस्तक में शामिल प्रत्येक तथ्य व आँकड़े की जाँच भरोसेमंद सरकारी वेबसाइटों तथा संदर्भ-ग्रंथों से की गई है। लगभग 250 पृष्ठों की इस पुस्तक में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिये यथोचित स्थानों पर हिंदी शब्दों के अंग्रेज़ी पयार्य भी दिये गए हैं।

अभी आपके सामने प्रारंभिक परीक्षा की चुनौती है जिसे साधने में 'भारत-2018: सार-संग्रह' की भूमिका असंदिग्ध रूप से महत्त्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में अभ्यास के लिये वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तर भी दिये हैं। हमारा अनुमान है कि उन प्रश्नों को हल करने की प्रक्रिया में आप न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा के अनुरूप कौशल विकसित कर लेंगे, बल्कि पूरी पुस्तक को तेज़ी से दोहरा भी लेंगे।

यह पुस्तक किसी एक व्यक्ति की मेहनत का नतीजा नहीं है। हमारे लेखक व संपादक समूह के लगभग 30 सदस्यों ने इसके लेखन, त्रुटि-शोधन, तथ्य-सत्यापन और संपादन के स्तर पर प्रभावी योगदान दिया है। मैं उन सभी साथियों के प्रति आभार व कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मुझे भरोसा है कि पुस्तक का यह संस्करण आपके लिये अति उपयोगी सिद्ध होगा। मेरा निवेदन है कि आप इसे सिर्फ पाठक के रूप में ही नहीं, बल्कि आलोचक और संपादक की नज़र से भी पढ़ें। **अगर आपको इसमें कोई भी कमी दिखे तो अपनी बात बेझिझक '8130392355' नंबर पर वाट्सएप मैसेज से भेज दें।** आपकी टिप्पणियों के आधार पर हम पुस्तक के आगामी संस्करणों को और बेहतर बना सकेंगे।

साभार,

प्रबधन संपादक

दृष्टि पब्लिकेशन्स

अनुक्रम

1.	भारत भूमि और उसके निवासी	1-5
2.	राष्ट्रीय प्रतीक	6-7
3.	राजनीतिक संरचना	8-17
4.	कृषि	18-21
5.	संस्कृति एवं पर्यटन	22-31
6.	मूल आर्थिक आँकड़े	32-35
7.	वाणिज्य	36-40
8.	संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी	41-52
9.	रक्षा	53-57
10.	शिक्षा	58-69
11.	ऊर्जा	70-76
12.	पर्यावरण	77-86
13.	वित्त	87-101
14.	कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय	102-105
15.	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	106-111
16.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	112-121
17.	आवास	122-125
18.	उद्योग	126-143
19.	विधि और न्याय	144-151
20.	श्रम, कौशल विकास और रोज़गार	152-157
21.	जनसंचार	158-166
22.	आयोजना	167-172
23.	ग्रामीण और शहरी विकास	173-182
24.	वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास	183-191
25.	परिवहन	192-200
26.	जल संसाधन	201-211
27.	कल्याण	212-228
28.	युवा मामले और खेल	229-233
29.	राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश	234-245
30.	सामान्य सूचनाएँ	246-252

1 भारत भूमि और उसके निवासी (Land and the People of India)

"भारत मानव जाति का पालना, मानव भाषा की जन्मस्थली, इतिहास की जननी, पौराणिक कथाओं की दादी और परंपरा की परदादी रहा है। मानव इतिहास में हमारी सर्वाधिक मूल्यवान और सर्वाधिक शिक्षाप्रद सामग्री का खज़ाना केवल भारत में निहित है।" **–मार्क ट्वेन**

सामान्य परिचय (General Introduction)

- भारत अद्वितीय (Unique) संस्कृति वाला देश है और यह विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यताओं में से एक है। यह उत्तर में बर्फ से ढके हिमालय से लेकर दक्षिण में धूप से सराबोर तटवर्ती गाँवों और दक्षिण-पश्चिम तट पर आर्द्र उष्णकटिबंधीय जंगलों, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ क्षेत्र से लेकर पश्चिम में थार रेगिस्तान तक फैला है।
- भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
- आकार की दृष्टि से भारत विश्व में सातवें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है।
- यह उत्तर में विशाल हिमालय से घिरा है और दक्षिण की ओर विस्तार के साथ कर्क रेखा पर शंकु आकार धारण किये पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर के बीच हिंद महासागर में फैला है।
- पूरी तरह उत्तरी गोलार्द्ध में स्थित इसकी मुख्य भूमि की अवस्थिति 8°4' और 37°6' अक्षांश उत्तर तथा 68°7' और 97°25' देशांतर पूर्व में है।
- उत्तर से दक्षिण तक इसका अक्षांशीय विस्तार करीब 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की तरफ देशांतरीय विस्तार करीब 2,933 किलोमीटर है।
- इसकी स्थलीय सीमा करीब 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है।

भौगोलिक पृष्ठभूमि *(Geographical Background)*

- भारत की सीमा उत्तर-पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, उत्तर में चीन, भूटान तथा नेपाल, सुदूर पूर्व में म्याँमार और पूर्व में बांग्लादेश से लगती है।
- पाक जलडमरूमध्य और मन्नार की खाड़ी से निर्मित एक तंग समुद्री चैनल श्रीलंका को भारत से पृथक् करता है।
- देश को मुख्य रूप से 6 अंचलों- उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वोत्तर अंचल में वर्गीकृत किया जा सकता है।

भौतिक विशेषताएँ *(Physical Features)*

- मुख्य भूमि चार भागों-विशाल हिमालय क्षेत्र, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, रेगिस्तानी क्षेत्र और दक्षिणी प्रायद्वीप में बँटी है।
- हिमालय पर्वतमाला में तीन लगभग समानांतर शृंखलाएँ हैं, जो बड़े पठारों और घाटियों से विभाजित हैं, जिनमें से कश्मीर और कुल्लू जैसी कुछ विस्तृत और अत्यंत उपजाऊ घाटियाँ प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर हैं।
- गंगा और सिंधु के मैदानी भाग, करीब 2,400 किलोमीटर लंबे और 240 से 320 किलोमीटर चौड़े हैं, जो तीन विशेष नदी प्रणालियों- सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन (Basin) से मिल कर बने हैं।
- रेगिस्तानी क्षेत्र को दो भागों में बाँटा जा सकता है- 'वृहद् रेगिस्तान' और 'लघु रेगिस्तान।'
- वृहद् रेगिस्तान कच्छ के रन से उत्तर की ओर लूनी नदी तक फैला है।
- लघु रेगिस्तान का विस्तार जैसलमेर और जोधपुर के बीच लूनी से उत्तर-पश्चिम तक है।
- प्रायद्वीपीय पठार गंगा और सिंधु के मैदानों से सटा है, जिसमें 460 से 1,220 मीटर तक अलग-अलग ऊँचाई वाले पहाड़ और पर्वतमालाएँ शामिल हैं। इनमें अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, मैकाल और अजंता पर्वतमालाएँ प्रमुख हैं।
- पश्चिमी घाटों और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण तटवर्ती पट्टी है, जबकि पूर्वी घाटों और बंगाल की खाड़ी के बीच एक वृहत्तर तटवर्ती क्षेत्र है।
- पठार का दक्षिणी बिंदु नीलगिरि पर्वतमाला से निर्मित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं। उसके परे कार्डमम हिल्स है जिसे पश्चिमी घाट का विस्तार माना जा सकता है।

भूगर्भीय संरचना *(Geological Structure)*

- भूगर्भीय क्षेत्र मुख्य रूप से भौतिक विशेषताओं का अनुसरण करता है और इसे 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये हैं– हिमालय और उससे जुड़ी पर्वतमालाओं का समूह, सिंधु-गंगा का मैदान और प्रायद्वीपीय ढाल।
- उत्तर में हिमालय और पूर्व में नगा-लुशाई पर्वत निर्माण करने वाली हलचलों से निर्मित क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग, जो आज विश्व के कुछ सर्वाधिक मनोरम पर्वतीय दृश्य प्रस्तुत करता है, वह करीब 60 करोड़ वर्ष पूर्व समुद्र था।

9. निम्नलिखित में से भारतीय मानसून के संदर्भ में कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
 1. उत्तर-पूर्वी मानसूनी पवनें प्रायः स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं।
 2. दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं।

 कूट:
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. असम क्षेत्र के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी व सुरमा घाटी में मोटे बाँस के गुच्छे व लंबी घास के सदाबहार वन मिलते हैं।
 2. पूर्वी हिमालयी क्षेत्र में ओक, भोजवृक्ष व जायफल के वृक्ष पाए जाते हैं।

 उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

11. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
 (a) भारत जनगणना-2011, 1872 की जनगणना के बाद 15वीं जनगणना है।
 (b) जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
 (c) जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार बिहार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है।
 (d) 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 की जनगणना में भारत के शिशु लिंगानुपात में 10 अंक की वृद्धि दर्ज़ की गई।

12. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 1. 2011 की जनगणना के अनुसार 5 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग के ऐसे व्यक्ति को साक्षर माना गया, जो किसी भाषा में पढ़ने व लिखने में सक्षम हो।
 2. 2011 की जनगणना के अंतिम आँकड़ों के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से राज्यों में केरल तथा केंद्रशासित प्रदेशों में लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है।
 3. जनगणना-2011 के अंतिम आँकड़ों के अनुसार महिला व पुरुष दोनों की साक्षरता दर के मामले में बिहार अंतिम पायदान पर है।

 कूट:
 (a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
 (c) केवल 3 (d) उपर्युक्त सभी

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. भारतीय मौसम विभाग ने भारतीय जलवायु को 4 भागों में वर्गीकृत किया है।
 2. भारतीय भू-भाग को वनस्पतियों के आधार पर 8 वानस्पतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है।

 उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

14. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
 1. गंगा का मैदानी क्षेत्र कछारी भूमि कहलाता है। यहाँ गेहूँ, गन्ना और चावल की खेती होती है।
 2. सिंधु के मैदानी क्षेत्र में पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदान शामिल हैं।

 कूट:
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

15. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. लिंगानुपात को प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।
 2. भारत में लिंगानुपात महिलाओं की संख्या की दृष्टि से हमेशा प्रतिकूल रहा है।

 उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

16. 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा/से सुमेलित है/हैं?

1. भारत में राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व	–	बिहार
2. भारत में केंद्रशासित प्रदेशों की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षरता	–	पुदुच्चेरी
3. भारत में राज्यों की दृष्टि से न्यूनतम साक्षरता	–	बिहार

कूट:
(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3

उत्तरमाला

1. (a)	2. (c)	3. (c)	4. (c)	5. (d)
6. (c)	7. (d)	8. (c)	9. (d)	10. (c)
11. (d)	12. (b)	13. (c)	14. (d)	15. (d)
16. (c)				

2 राष्ट्रीय प्रतीक (National Symbols)

राष्ट्रीय ध्वज (National Flag)

- भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसमें समानांतर तीन रंगों की पट्टियाँ हैं। सबसे ऊपर गहरी केसरिया पट्टी है, मध्य में सफेद और सबसे नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है।
- ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3 : 2 है। सफेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का एक चक्र है, जिसका प्रारूप सम्राट अशोक के सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ पर बने चक्र की तर्ज़ पर बनाया गया है।



राष्ट्रीय ध्वज

- इसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के समान है और इसमें 24 तीलियाँ हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्र ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया।
- सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गैर-सांविधिक (Non-Statutory) अनुदेशों के अतिरिक्त राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 (1950 का 12वाँ) और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69वाँ) की व्यवस्थाएँ लागू होती हैं।
- भारतीय ध्वज संहिता, 2002 जो 26 जनवरी, 2002 से प्रभावी हुई, में विधि, परंपराओं, प्रविधियों और अनुदेशों सभी को एक साथ रखा गया है।
- भारत की ध्वज संहिता, 2002 के अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है, परंतु इस बारे में राजचिह्नों और नामों के (दुरुपयोग की रोकथाम) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों और इस विषय में अधिनियमित किसी अन्य कानून की व्यवस्थाओं का अनुपालन अनिवार्य है।

राजचिह्न (State Emblem)

- भारत का राजचिह्न सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है।
- मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं, जो एक-दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक उभरी हुई नक्काशी में एक हाथी, चौकड़ी भरता हुआ एक घोड़ा, एक सांड़ तथा एक सिंह हैं।
- चिकने बलुआ पत्थर के एकल ब्लॉक को काट कर बनाए गए इस स्तंभ पर 'धर्मचक्र' सुशोभित है।
- भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी, 1950 को अपनाए गए राजचिह्न में केवल 3 सिंह दिखाई पड़ते हैं।
- पट्टी के मध्य में उभरी हुई नक्काशी में धर्मचक्र है, जिसके दाईं ओर एक सांड़ और बाईं ओर एक घोड़ा है।
- फलक के नीचे मुंडकोपनिषद् का सूत्र 'सत्यमेव जयते' देवनागरी लिपि में अंकित है जिसका अर्थ है- "सत्य की ही विजय होती है।"
- भारत के राजचिह्न का उपयोग भारत के राजकीय (अनुचित उपयोग निषेध) अधिनियम, 2005 के तहत नियंत्रित होता है।



राष्ट्रीय चिह्न

राष्ट्रगान (National Anthem)

- रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध 'जन-गण-मन' के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया था।
- यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं।

प्रथम पद, राष्ट्रगान का पूरा पाठ है, जो इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा
द्राविड़-उत्कल-बंग
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
उच्छल जलधि तरंग।
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशिष मांगे
गाहे तब जय-गाथा।
जन-गण-मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।

राष्ट्रगान के गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रगान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जिसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ (गाने का समय लगभग 20 सेकंड) होती हैं, जो इस प्रकार है:

जन-गण-मन अधिनायक जय हे
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय जय हे।।

3 राजनीतिक संरचना (Political Structure)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- राज्यों का संघ भारत एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है जिसमें शासन की संसदीय प्रणाली है।
- यह गणराज्य 26 जनवरी, 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकृत एवं 26 जनवरी, 1950 से लागू संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार प्रशासित होता है।
- संसदीय सरकार के संविधान का ढाँचा एकात्मक विशेषताओं के साथ संघात्मक भी है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं।
- संविधान का अनुच्छेद 74(1) यह निर्दिष्ट करता है कि कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें परामर्श देने के लिये प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद् होगी और राष्ट्रपति उसके परामर्श से ही कार्य करेंगे।
- इस प्रकार कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति भी उत्तरदायी है।
- राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है परंतु, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद् में निहित होती है। किसी राज्य की मंत्रिपरिषद् सामूहिक रूप से उस राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
- संविधान में विधायी शक्तियाँ संसद एवं विधानसभाओं में विभाजित की गई हैं तथा शेष शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं। संविधान में संशोधन का अधिकार भी संसद को ही प्राप्त है।
- संविधान में न्यायपालिका, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग और मुख्य निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता बनाए रखने का प्रावधान है।

नागरिकता *(Citizenship)*

- संविधान में संपूर्ण भारत के लिये एकल नागरिकता (Single citizenship) की व्यवस्था की गई है।
- ऐसा प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना गया है, जो संविधान लागू होने के दिन (26 जनवरी, 1950 को) भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो; और (क) जो भारत में पैदा हुआ हो; अथवा (ख) जिसके माता-पिता में से एक भारत में पैदा हुए हो; अथवा (ग) जो सामान्यता कम-से-कम पाँच वर्ष से भारतीय क्षेत्र में रह रहा हो।
- नागरिकता अधिनियम, 1955 लागू होने के बाद नागरिकता ग्रहण करने, निर्धारित करने तथा समाप्त करने के संबंध में प्रावधान किये गए हैं।

मूल अधिकार *(Fundamental Rights)*

- संविधान में सभी नागरिकों के लिये व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है।
- मोटे तौर पर संविधान में छह प्रकार की स्वतंत्रता की गारंटी मूल अधिकारों के रूप में दी गई है, जिनकी सुरक्षा के लिये न्यायालय की शरण ली जा सकती है।
- संविधान के तीसरे भाग, अनुच्छेद-12 से 35 तक, में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है।
- ये मूल अधिकार हैं:
 - समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध और रोज़गार के लिये समान अवसर;
 - विचारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार;
 - शोषण से रक्षा का अधिकार;
 - अंत:करण की प्रेरणा तथा धर्म को निर्बाध रूप से मानने, उसके अनुरूप आचरण करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार;
 - नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यकों द्वारा अपनी पसंद की शिक्षा ग्रहण करने एवं शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार;
 - मूल अधिकारों को लागू करने के लिये संवैधानिक उपचारों (Constitutional Remedies) का अधिकार।

राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत *(Directive Principles of State Policy)*

- संविधान में निहित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत यद्यपि न्यायालयों द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, तथापि वे 'देश के प्रशासन का मूल आधार है' और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों का पालन करे।
- ये सिद्धांत संविधान के 'भाग 4' के अनुच्छेद-36 से 51 में दिये गए हैं।

4 कृषि (Agriculture)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की अहम भूमिका है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का 54.6 प्रतिशत कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है और देश के सकल मूल्य संवर्द्धन (Gross Value Added) (वर्तमान मूल्य 2015-16, 2011-12 शृंखला) में इसकी हिस्सेदारी 17 प्रतिशत है।
- इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत् विकास हेतु 'मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना' द्वारा सतत् आधार पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता तथा सिंचाई के लिये उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाज़ार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए हैं।
- इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिये खरीफ 2016 के साथ ही, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) की भी शुरुआत की गई है।

किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति *(National Policy for Farmers)*

- भारत सरकार ने **किसानों के लिये राष्ट्रीय नीति** (एनपीएफ) का अनुमोदन किया है। इस नीति के प्रावधानों में-
 - ज़मीन, जल, पशुधन, मत्स्य क्षेत्रों तथा जैव-संसाधनों संबंधी संपत्ति सुधारों;
 - सीमांत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग जैसे:- समर्थन सेवाएँ और निवेश; कृषि संबंधी जैव-सुरक्षा पद्धतियों;
 - अच्छी गुणवत्ता के बीज और रोगमुक्त पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति;
 - मृदा उर्वरता और स्वास्थ्य में सुधार एवं एकीकृत कीटनाशक प्रबंध पद्धतियाँ;
 - महिलाओं के लिये शिशु-गृह, शिशु देखभाल केंद्रों, पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण हेतु समर्थन सेवाएँ;
 - उचित ब्याज दरों पर सांस्थानिक ऋण के लिये पर्याप्त और आसान पहुँच और कृषक अनुकूल बीमा प्रपत्र; सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग और कृषि विस्तार को सुदृढ़ करने हेतु कृषक विद्यालयों की स्थापना;
 - देश में एमएसपी का प्रभावी क्रियान्वयन, कृषि बाज़ार ढाँचे का विकास और किसान परिवारों हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में खेती से इतर रोज़गार की पहल; ग्रामीण ऊर्जा हेतु एकीकृत दृष्टिकोण आदि शामिल हैं।

मुख्य कार्यक्रम *(Major Programmes)*

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- इस योजना का अनुमोदन ₹50,000 करोड़ की लागत के साथ 5 वर्षों (2015-16 से 2019-20) की अवधि हेतु किया गया है।
- इस अभियान का प्रबंधन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय द्वारा किया गया है।
- पीएमकेएसवाई के मुख्य उद्देश्य हैं-
 - जमीनी स्तर पर सिंचाई में निवेशों को समन्वित करना, सिंचाई सुविधा वाले कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार;
 - पानी का अपव्यय कम करने हेतु और खेतों में उपलब्ध पानी का बेहतर उपयोग;
 - सटीक सिंचाई और अन्य पानी बचाने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में वृद्धि (प्रति बूंद अधिक फसल);
 - भूमिगत जलाशयों के रिचार्ज में वृद्धि और सतत् जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना आदि।

किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card)

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना पूरे देश में संचालित हो रही है और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) द्वारा किया जा रहा है। इस योजना से कृषि गतिविधियों हेतु ऋण प्रवाह बढ़ाने में मदद मिली है।
- केसीसी आवधिक ऋण (TermCcredit) और घरेलू ज़रूरतों को शामिल कर इसे व्यापक आधार दिया गया है।
- केसीसी योजना को सरलीकृत कर इसे एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के रूप में बदला गया है।
- एक बार के लिखित प्रमाण (Documentation), सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत किसी भी संख्या में निकासी की सुविधा मिलती है, जिससे शिविर लगाकर भुगतान की ज़रूरत खत्म हो जाती है तथा बिचौलियों द्वारा किसानों का शोषण कम होता है।

5 संस्कृति और पर्यटन (Culture and Tourism)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- संस्कृति मंत्रालय को देश की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और परिरक्षण का दायित्व मिला है।
- मंत्रालय के चार मिशन भी हैं जिनके नाम हैं: राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, राष्ट्रीय स्मारक तथा पुरावशेष मिशन, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन और गांधी धरोहर स्थल मिशन।
- मोटे तौर पर मंत्रालय हर प्रकार की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और विकास के लिये कार्य कर रहा है। जिनमें मूर्त सांस्कृतिक विरासत, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान की विरासत शामिल है।
- इसके अलावा मंत्रालय पर गांधीजी की विरासत के संरक्षण और महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का स्मरण करने और महापुरुषों की जन्म शताब्दी के आयोजन का भी दायित्व है।
- मूर्त धरोहर के अंतर्गत मंत्रालय केंद्र द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय महत्त्व के सभी स्मारकों की देखरेख 'भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण' (Archaeological Survey of India-ASI) के माध्यम से करता है।
- मूर्त कलाओं के क्षेत्र में मंत्रालय दृश्य कलाओं, निष्पादन कलाओं और साहित्यिक कलाओं में संलग्न व्यक्तियों, समूहों और सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- मंत्रालय देश के सभी प्रमुख पुस्तकालयों का संरक्षक है।
- संस्कृति मंत्रालय बौद्ध और तिब्बती संस्कृति के संरक्षण और प्रोत्साहन के कार्य में भी लगा है और इसके लिये सारनाथ, वाराणसी और लेह आदि स्थानों में स्थित विभिन्न संस्थाओं की मदद ली जाती है।
- मंत्रालय संस्कृति के क्षेत्र में यूनेस्को की विभिन्न संधियों के क्रियान्वयन के लिये भी उत्तरदायी है।

ललित कला अकादमी *(Lalit Kala Akademi)*

- ललित कला अकादमी (नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट) की स्थापना 1954 में की गई।
- यह भारत में दृश्य कलाओं के क्षेत्र में शीर्ष सांस्कृतिक संस्थान है।
- यह एक स्वायत्त संस्थान है जो पूरी तरह से संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।
- अकादमी पूरे साल ऐसी कई प्रदर्शनियों और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है जो महत्त्वपूर्ण होते हैं।
- अकादमी का अपना पुस्तकालय, कला संग्रह, अभिलेखागार और परिरक्षण प्रयोगशाला है और यह देशभर में उत्तम बौद्धिक उत्कृष्टता वाले विद्वानों तथा पब्लिकेशन्स को मदद देती है।
- अकादमी के मिशन का मुख्य विषय है- आधुनिक और समसामयिक भारतीय कला की समझ को बढ़ाना।
- इसके लिये अकादमी राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी और अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले-इंडिया (International Triennale -India) जैसे आयोजन करती है।
- कला को बढ़ावा देने की अकादमी की एक अन्य प्रमुख गतिविधि विभिन्न विधाओं, जैसे- मूर्तिशिल्प, ग्राफिक्स, सेरेमिक्स कला और चित्रकला के कलाकारों को काम करने के लिये स्टूडियो प्रदान करना है।
- दिल्ली में अकादमी गढ़ी में कलाकार स्टूडियो का संचालन करती है जिसमें लगभग 200 कलाकार नियमित रूप से कार्य करते हैं।

संगीत नाटक अकादमी *(Sangeet Natak Akademi)*

- 1945 में एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल ने एक प्रस्ताव दिया था जिसमें एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक न्यास बनाकर उसके तहत तीन अकादमियों नृत्य, नाटक और संगीत की अकादमी, साहित्य अकादमी और कला एवं स्थापत्य की अकादमी के गठन की बात कही गई थी।
- इसी के अनुसार स्वतंत्रता के बाद तीन अकादमियाँ गठित की गईं जिनमें से संगीत नाटक अकादमी अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी, जिसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव से हुई।
- 1961 में सरकार ने संगीत नाटक अकादमी का एक सोसायटी के रूप में पुनर्गठन किया और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत इसका पंजीकरण कराया।
- अकादमी ने भारत में संगीत, नृत्य और नाट्य साधना करने वालों की मदद के लिये एकीकृत ढाँचे का निर्माण कार्य किया, जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण समेत देश के सभी भागों की पारंपरिक और आधुनिक कलाएँ शामिल हों।
- अकादमी के पास ऑडियो और वीडियो टेप, 16 मिमी फिल्मों, फोटोग्राफ और ट्रांसपेरेंसीज का विशाल अभिलेखागार है।
- यह निष्पादन कलाओं के क्षेत्र में अनुसंधान करने वालों के लिये देश में सूचनाओं और सामग्री का सबसे बड़ा स्रोत है।
- अकादमी की प्रकाशन इकाई प्रासंगिक विषयों में छोटे पैमाने पर साहित्य का प्रकाशन करती है।
- इंफाल स्थित जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी की स्थापना 1954 में हुई थी। यह मणिपुरी नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण देने वाली प्रमुख संस्था है।
- 1959 में अकादमी ने दिल्ली में 'राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय' और 'एशियाई रंगमंच संस्थान' की स्थापना की।
- 1964 में दिल्ली में ही कथक केंद्र स्थापित किया गया।

6 मूल आर्थिक आँकड़े (Basic Economic Data)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- सांख्यिकी विभाग तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय से वर्ष 1999 में एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अस्तित्व में आया।
- मंत्रालय के दो स्कंध (Wings) हैं, एक का संबंध सांख्यिकी से और दूसरे का कार्यक्रम कार्यान्वयन से है। सांख्यिकी स्कंध को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के रूप में नया नाम दिया गया है, जिसमें केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) शामिल हैं।
- कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध के डिवीज़न हैं: (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) बुनियादी ढाँचा और परियोजना निगरानी (iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना।

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग *(National Statistical Commission)*

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) का गठन सांख्यिकीय मामलों में सांख्यिकीय प्राथमिकताओं और मानकों को तैयार करने, उनकी निगरानी करने और उन्हें लागू करने तथा सांख्यिकीय समन्वय सुनिश्चित करने तथा देश की सभी प्रमुख सांख्यिकीय गतिविधियों के लिये एक केंद्रीय और अधिकार प्राप्त संगठन के रूप में कार्य करने के लिये वर्ष 2006 में किया गया।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान *(Indian Statistical Institute)*

- भारतीय सांख्यिकी संस्थान का पंजीकरण एक गैर-लाभकारी अध्ययन सोसायटी के रूप में 28 अप्रैल, 1932 को पश्चिम बंगाल सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत हुआ था।
- सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में संस्थान द्वारा दिये गए उत्कृष्ट योगदानों के फलस्वरूप इस संस्थान को 'राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान' के रूप में मान्यता मिली जिससे इसे डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय *(Central Statistics Office)*

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से संबद्ध कार्यालय है, जो देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानक तैयार करता है।
- इसकी गतिविधियों में अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खातों, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/मिश्रित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों, लिंग संबंधी आँकड़ों सहित मानव विकास आँकड़ों का संकलन, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण का संचालन और आर्थिक जनगणना तथा कार्यालय संबंधी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।
- सीएसओ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सांख्यिकी के विकास में सहायता भी करता है और ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण भी तैयार करता है।

राष्ट्रीय लेखा *(National Accounts)*

- सीएसओ का राष्ट्रीय लेखा डिवीज़न (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा की तैयारी, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आकलन, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, सांस्थानिक क्षेत्रों के लेन-देन के विवरण सहित पूंजी निर्माण और बचत शामिल हैं, के लिये उत्तरदायी है।
- एनएडी प्रत्येक वर्ष 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' का प्रकाशन करता है जिसमें ये सांख्यिकियाँ होती हैं।

मूल्य आँकड़ा संग्रहण *(Price Data Collection)*

- **ग्रामीण खुदरा मूल्य संग्रहण (Rural Retail Price Collection):** ग्रामीण खुदरा मूल्यों के संगृहीत आँकड़ों का इस्तेमाल कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) तैयार करने में किया जाता है।
- वर्तमान में, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो कृषि श्रमिकों हेतु सीपीआई संकलित और प्रकाशित करता है।
- **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी) [Consumer Price Index (Urban)]:** मूल्यों का संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा 310 शहरों के 1,114 उद्धरणों (Quotations) के लिये किया जाता है।
- इन उद्धरणों (Quotations) में से 1,078 उद्धरणों की जवाबदेही एनएसएसओ पर है, शेष अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम और लक्षद्वीप के 36 उद्धरणों की व्यवस्था सीएसओ द्वारा की जाती है।
- सीपीआई (शहरी) जनसंख्या के तीन व्यापक क्षेत्रों (धनी, मध्यम और गरीब) के आधार पर वस्तुओं के मूल्य सृंगहीत करता है।
- **थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) (Wholesale Price Index):** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अनुरोध पर एनएसएसओ डब्ल्यूपीआई के मौजूदा श्रेणियों और नई श्रेणियों हेतु मूल्य आँकड़ा संग्रहण में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की मदद कर रहा है।
- डब्ल्यूपीआई की नई शृंखलाओं में 6,837 उद्धरण (Quotations) हैं जिनका आधार वर्ष 2011-12 है।

7 वाणिज्य (Commerce)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी देश के आर्थिक रूपांतरण में अनेकानेक ढंग से उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से अधिक-से-अधिक जुड़ाव, तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वैश्विक मंचों पर कद में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि और रोज़गार बढ़ने को सुनिश्चित करता है।
- भारत को वैश्विक बाज़ारों में कई क्षेत्रों में हो रही प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिली हुई है। इनमें कृषि उत्पाद, बागवानी, इंजीनियरिंग, वस्त्र, चमड़ा, सेवाएँ, औषधियाँ, समुद्री उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं प्लास्टिक उत्पाद आदि शामिल हैं।
- निर्यात में वृद्धि भारत की आर्थिक उपलब्धि का प्रमुख संचालक रही है।
- भारत का निर्यात सितंबर 2016 के 22.76 अरब अमेरिकी डॉलर से 25.67 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2017 में 28.61 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया है।
- भारत सरकार का वाणिज्य विभाग वर्ष 2020 तक देश को वैश्विक व्यापार में प्रमुख भागीदार बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिये सभी संबंधित पक्षों के साथ मिलकर प्रयासरत है और भारत के व्यापारिक माल एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में सहायता करने के लिये तदनुसार व्यवस्था कर रहा है।
- विभाग को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सवंर्धन, बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों, विशेष आर्थिक क्षेत्रों, राज्य व्यापार, निर्यात संवर्धन और व्यापार सुगमता, कतिपय निर्यातोन्मुख उद्योगों, वस्तुओं तथा कार्य नीति का विकास एवं विनियमन जैसे बहुआयामी कार्य सौंपे गए हैं।

वैश्विक एवं घरेलू आर्थिक परिवेश *(Global and Domestic Economic Environment)*

- भारत वर्ष 2016–17 में 7.1 प्रतिशत की शानदार वृद्धि दर प्राप्त करके विश्व में सबसे तेज़ आर्थिक विकास वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है।
- वर्ष 2016 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट के कारण 3.2 प्रतिशत की सबसे कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ़कर 2017 में 3.6 प्रतिशत और 2018 में 3.7 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया।
- अनुकूल वैश्विक आर्थिक परिवेश एवं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सुधार और उत्साहजनक बाहरी कारकों के चलते इस वर्ष और अगले आने वाले वर्षों में विकासोन्मुख अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाज़ारों में अधिक विकास होने का अनुमान लगाया गया है।
- चीन एवं अन्य उभरते हुए एशियाई बाज़ारों में मजबूती बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूरो क्षेत्र और जापान सदृश विकसित अर्थव्यवस्थाओं के विस्तृत आधार के कारण 2017 में विकास में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

भारत का व्यापार परिदृश्य *(India's Trade Scenario)*

- अमेरिकी डॉलर के हिसाब से निर्यात में अप्रैल-सितंबर 2017–18 की अवधि में इससे पहले वर्ष की तुलना में 10.84 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ की गई है।
- अप्रैल-सितंबर, 2017–2018 के दौरान वाणिज्यिक माल का निर्यात 146.29 अरब अमेरिकी डॉलर (अनंतिम) तक पहुँच गया।
- अप्रैल-सितंबर 2017–18 की अवधि में कुल आयात 220.55 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जबकि इससे पहले वर्ष इसी अवधि में 175.34 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात हुआ था।
- अमेरिकी डॉलर के हिसाब से आयात वृद्धि 25.79 प्रतिशत रही।
- अप्रैल-सितंबर 2017–18 की अवधि (अनंतिम) में कुल 46.51 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का तेल आयात हुआ जबकि इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए 39.53 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के तेल आयात से 17.65 प्रतिशत अधिक रहा।
- अप्रैल-सिंतबर 2017–18 की अवधि (अनंतिम) में 174.05 अरब अमेरिकी डॉलर का गैर-तेल आयात इससे पहले वर्ष के दौरान इसी अवधि में हुए 135.81 अरब अमेरिकी डॉलर के गैर-तेल आयात से 28.15 प्रतिशत अधिक दर्ज़ हुआ।
- अप्रैल-सितंबर 2017–18 की अवधि (अनंतिम) में व्यापार घाटा 74.27 अरब अमेरिकी डॉलर रहा जो इससे पहले वर्ष इसी अवधि में हुए व्यापार घाटे से 43.36 अरब अमेरिकी डॉलर कम था।

प्रमुख मदों का निर्यात *(Exports of Principal Commodities)*

- अप्रैल-सितंबर 2017–18 की अवधि (अनंतिम) में 5 प्रमुख मदों का निर्यात कुल निर्यात का 32.52 प्रतिशत दर्ज़ किया गया।
- इसमें मुख्य हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों, मोती, मूल्यवान तथा अर्द्ध-मूल्यवान रत्नों, जैविक औषधीय सामग्री, स्वर्ण एवं अन्य मूल्यवान धातुओं से बने आभूषण, लोहा और इस्पात शामिल हैं।

8 संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (Communications and Information Technology)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का संचालन इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और संचार मंत्रालय करता है।
- इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ई-गवर्नेंस एवं इलेक्ट्रॉनिकी के सतत् विकास को बढ़ावा देने के साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों का विस्तार और देश में इंटरनेट गवर्नेंस को प्रोत्साहन देता है। वहीं संचार मंत्रालय का काम डाक एवं दूरसंचार विभाग की देख-रेख करना है।

डाक *(Post)*

- भारत में वर्ष 1766 में सबसे अधिक पसंदीदा आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ लॉर्ड क्लाइव ने किया था और इसे 1774 में वारेन हेस्टिंग्स ने आगे बढ़ाया।
- डाक नेटवर्क का तेज़ी से विस्तार 1786 से 1793 के दौरान हुआ।
- वर्ष 1837 में एक अधिनियम के माध्यम से पहली बार डाकघरों को नियमन व्यवस्था के अंतर्गत लाया गया ताकि तत्कालीन तीन प्रेसिडेंसियों के सभी डाकघरों को अखिल भारतीय सेवा के दायरे में लाया जा सके।
- तत्पश्चात् 1854 के डाकघर अधिनियम में संशोधन के साथ संपूर्ण डाक व्यवस्था का स्वरूप बदल गया और 1 अक्तूबर, 1854 से भारत के डाकघर वर्तमान प्रशासनिक तरीके से चलाए जाने लगे।
- देश में पहला डाक टिकट इसी समय जारी किया गया था जो पूरे देश में मान्य था।
- वर्तमान में पोस्ट ऑफिस एक्ट, 1898 द्वारा भारतीय डाक सेवाओं का नियंत्रण किया जाता है।
- मेल ऑर्डर सेवा 1877 में मूल्य देय प्रणाली शुरू होने के साथ प्रारंभ हुई, जबकि 1880 से मनी ऑर्डर सेवा के माध्यम से दरवाजे पर धनराशि प्राप्त करना संभव हुआ।
- 1882 में डाकघर बचत बैंक प्रारंभ होने के साथ बैंकिंग सुविधा सभी लोगों तक पहुँची और 1884 तक सभी सरकारी कर्मियों को डाक जीवन बीमा के अंतर्गत लाया गया।
- डाक संचार सुविधा प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर नेटवर्क 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध से धन का हस्तांतरण, बैंकिंग और बीमा सेवा भी प्रदान कर रहा है।

संगठन का विवरण *(Organization Overview)*

- डाक विभाग, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय डाक सेवा बोर्ड है। बोर्ड में एक अध्यक्ष एवं छह सदस्य होते हैं।
- डाक सेवा बोर्ड का अध्यक्ष डाक विभाग का सचिव होता है।

डाक नेटवर्क *(Postal Network)*

- स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देशभर में 23,344 डाकघर थे जिसमें से 19,184 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4,160 शहरी क्षेत्रों में थे।
- आज 1,54,965 डाकघरों के साथ भारत का डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है, जिसमें 1,39,067 (89.74 प्रतिशत) डाकघर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 15,898 (10.26 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में है।
- उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद डाक नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है। डाकघरों का यह विस्तार मुख्यत: ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है।
- डाक नेटवर्क के अंतर्गत डाकघरों की तीन श्रेणियाँ आती हैं, ये हैं- मुख्य डाकघर, उप-डाकघर और डाकघरों की अतिरिक्त विभागीय शाखा।
- डाकघरों की यह सभी शाखाएँ समान डाक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं, जबकि डिलीवरी कार्य विशिष्ट डाकघरों तक ही सीमित हैं।
- डाकघरों के अलावा, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स और पंचायत संचार सेवा केंद्रों के ज़रिये भी बुनियादी डाक सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।
- 31 मार्च, 2017 तक देश में 2,345 फ्रेंचाइजी आउटलेट्स और 2,049 पंचायत संचार सेवा केंद्र कार्यरत थे।

वित्तीय सेवाएँ *(Financial Services)*

डाकघर बचत बैंक द्वारा बचत खाते, आवर्ती जमा (Recurring Deposit-RD), सावधि जमा (Time Deposit-TD), मासिक आय योजना (Monthly Income Scheme-MIS), पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (Public Provident Fund-PPF), राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (National Savings Certificate-NSC), किसान विकास-पत्र (Kisan Vikas Patra-KVP), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Savings Scheme-SCSS) और सुकन्या समृद्धि खाता जैसी योजनाएँ चलाई जा रही है।

कोर बैंकिंग *(Core Banking)*

- कोर बैंकिंग समाधान (Core Banking Solution) डाकघरों में आवश्यक सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना के साथ विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों को लाना है।
- परियोजना का उद्देश्य चालू योजनावधि के दौरान लघु बचत योजनाओं के लिये सभी विभागीय डाकघरों में कोर बैंकिंग समाधान को लागू करना है।

टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिये वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस उन्मूलन (Abolition of Wireless operating License for Telecom Service Providers)

व्यापारिक प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये, टेलीकॉम विभाग ने 2016 से टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के लिये वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है।

वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स (वीएनओ) (Virtual Network Operators–VNO)

- सरकार ने 2016 में यूएल(वीएनओ) के लिये दिशानिर्देश शुरू किये हैं।
- वीएनओ सिस्टम के ज़रिये, सक्रिय तथा निष्क्रिय अवसंरचना की मदद से टेलीकॉम सेवा प्रदाता अपने नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को बेहतर तरीके से इस्तेमाल में ला सकते हैं।

सभी नए मोबाइल फोन में पैनिक बटन (Panic Buttons on New Mobiles)

- दूरसंचार विभाग ने वर्ष 2016 में मोबाइल फोन हैंडसेट्स रूल्स, 2016 के अंतर्गत सभी फोनों में पैनिक बटन और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) सुविधा दिये जाने से जुड़ी अधिसूचना जारी की।
- इसका उद्देश्य है कि महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो और साथ ही, सुरक्षा एजेंसियों की ओर से त्वरित कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा सके।

मिड-डे मील (Mid-Day-Meal)

विभाग ने टोल फ्री शॉर्ट कोड '15544' जारी किया है। यह सेवा मिड-डे मील के लिये वॉयस और एसएमएस (SMS) गेटवे हेल्पलाइन है।

कैश मुक्त भारत (Cash Mukt Bharat)

शॉर्ट कोड '14444' कैश मुक्त भारत के लिये जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन का लक्ष्य सरकार द्वारा कैशरहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है।

ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिये केबल टीवी नेटवर्क (Cable TV Network for Broadband Services)

एक अनुमान के अनुसार देशभर में 10 करोड़ केबल टीवी उपभोक्ता हैं, जिनमें से केवल 1.06 मिलियन के पास केबल नेटवर्क के ज़रिये ब्रॉडबैंड सेवा पहुँचती है।

वाई-फाई हॉट स्पॉट्स (Wi-Fi Hot Spots)

- 'स्मार्ट विलेज' बनाने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में वाई-फाई अवसंरचना एवं अन्य उपयुक्त सहयोगी एप्लीकेशनों के विकास के आधार पर डीईआईटीवाई ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) 'वाई-फाई चौपाल' मॉडल का गठन किया है।
- इसी के अनुसार, विभाग ने ग्रामीण इलाकों में बीएसएनएल टेलीफोन एक्सचेजों के ब्लॉक-स्तर अवसंरचनात्मक ढाँचे के आधार पर 25,000 पब्लिक वाई-फाई हॉट-स्पॉट्स स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

अनुसंधान और विकास (Research and Development)

- स्वायत्त निकाय सी-डॉट दूरसंचार विभाग का अंग है। यह संगठन लागत प्रभावी, स्वदेश में विकसित अत्याधुनिक दूरसंचार समाधान प्रदान करने के लिये संकल्पबद्ध है।
- सी-डॉट को दूरसंचार के लिये केंद्रीय निगरानी प्रणाली और सामरिक एप्लीकेशनों के लिये सुरक्षित नेटवर्क जैसे राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजनाओं का दायित्व भी दिया गया है।
- दूरसंचार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में निम्नलिखित सार्वजनिक प्रतिष्ठान हैं-

सार्वजनिक प्रतिष्ठान	मुख्य विशेषताएँ
भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) स्थापना वर्ष: 2000	• यह दिल्ली और मुंबई को छोड़कर पूरे देश में दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। • बीएसएनएल पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में दूरसंचार व्यवस्था विकसित करने पर विशेष ज़ोर दे रही है।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) स्थापना वर्ष: 1986	• एमटीएनएल नवरत्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान है और यह देश के प्रमुख महानगरों- दिल्ली व मुंबई में सेवा प्रदान करती है। • एमटीएनएल दिल्ली के साथ नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद तथा गाज़ियाबाद और मुंबई के साथ-साथ मुंबई महापालिका, नवी मुंबई निगम और थाणे पालिका निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में जीएसएम मोबाइल सेवा प्रदान करती है।
आईटीआई लिमिटेड स्थापना वर्ष: 1948	आईटीआई ने अपना संचालन 1948 में बंगलूरू में शुरू किया। सभी उत्पादन इकाइयाँ ISO 9001-2000 मानक प्राप्त हैं। विभिन्न स्थानों पर इन इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य न केवल निर्माण क्षमता को सुदृढ़ बनाना है बल्कि सामाजिक अवसंरचना का विकास करना भी है।
टेलीकम्यूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) स्थापना वर्ष: 1978	इसका प्रमुख उद्देश्य दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी प्रदान करना है ताकि उचित विपणन नीति तैयार कर, निरंतर आधुनिक टेक्नोलॉजी प्राप्त करके और अपनी अग्रणी भूमिका को बनाए रखते हुए विदेश तथा घरेलू बाज़ारों में परिचालन की श्रेष्ठता बनाई रखी जा सके।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) स्थापना वर्ष: 2012	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) नामक एक स्पेशल पर्पज वेहिकल (एसपीवी) को भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 2012 में शामिल किया गया ताकि लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में 'भारतनेट योजना' लागू की जा सके।

ई-ऑफिस (E-office)

ई-ऑफिस के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

- सरकारी प्रतिक्रियाओं की दक्षता, स्थिरता और प्रभावशीलता में सुधार;
- टर्नअराउंड टाइम में कमी लाना तथा नागरिक चार्टर मांगों की पूर्ति करना;
- प्रशासन गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये कारगर संसाधन प्रबंधन उपलब्ध कराना;
- प्रोसेसिंग डिले में कमी लाना;
- पारदर्शिता और दायित्व स्थापित करना;
- सिस्टम से सरकारी कार्यालयों में फाइलों की आवाजाही स्वचालित होना आदि।

9

रक्षा
(Defence)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- वर्तमान में रक्षा क्षेत्र किसी भी देश के सामरिक महत्त्व वाले क्षेत्रों में सर्वप्रमुख है। देशों द्वारा अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा रक्षा क्षेत्र में व्यय किया जाता है। देशों के बीच बढ़ती अत्याधुनिक हथियारों एवं रक्षा प्रौद्योगिकी की होड़ आदि को मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में निरंतर परिवर्तनशीलता और अत्यधिक अस्थिरता के माहौल के रूप में देखा जा सकता है।
- भारत ने इसी तरह के उभरते हुए ख़तरों से निपटने और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति व स्थिरता बढ़ाने के उद्देश्य से कई अन्य देशों के साथ मज़बूत रक्षा भागीदारी संबंधों को प्रगाढ़ बनाया है।
- सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध संगठित नज़रिया अपनाए जाने की ज़रूरत को मिल रही पहचान के कारण दक्षेस शिखर सम्मेलन (SAARC Summit) का रद्द हो जाना और आतंकवाद मुक्त वातावरण में बैठक आयोजित करने की मांग करना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम था।
- हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय उपमहाद्वीपीय स्थिति और भू-राजनीतिक परिस्थितियों ने इसे समुद्र में भरोसेमंद बना दिया है।
- मध्य एशिया में भारत का हित उसकी भू-सामरिक अवस्थिति, पर्याप्त ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और प्राचीन ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।

रक्षा मंत्रालय *(Ministry of Defence)*

- रक्षा मंत्रालय का मुख्य कार्य रक्षा और सुरक्षा संबंधी सभी मामलों में नीति-निर्देश बनाना और उन्हें कार्यान्वित करने के लिये सेना मुख्यालयों, अंतर-सेवा संगठनों, उत्पादन प्रतिष्ठानों (Production Establishments) और अनुसंधान तथा विकास संगठनों को भेजना है।
- रक्षा विभाग रक्षा बजट, स्थापना मामलों, रक्षा नीति, संसदीय मामलों, अन्य देशों के साथ रक्षा सहयोग और रक्षा संबंधी सभी कार्यकलापों के लिये उत्तरदायी है।
- रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा उत्पादन कार्यों, आयात किये जाने वाले सामान, उपस्करों और कलपुर्जों के देशीकरण, आयुध निर्माण बोर्ड और रक्षा क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों की विभागीय उत्पादन इकाइयों के बारे में योजना तैयार करने तथा उन पर नियंत्रण रखने से संबंधित कार्य करता है।
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, सैन्य उपस्करों और संभारतंत्र (Military Equipment and Logistics) से संबंधित वैज्ञानिक पहलुओं पर सरकार को सलाह देता है और तीनों सेनाओं द्वारा अपेक्षित साजो-सामान के अनुसंधान, डिज़ाइन और विकास कार्यों के लिये योजनाएँ तैयार करता है।
- रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत चार विभाग आते हैं- रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग।
- ध्यातव्य हो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(2) के तहत सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति में निहित होती है। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा की ज़िम्मेदारी केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास होती है।
- रक्षा मंत्रालय के प्रमुख के रूप में रक्षा मंत्री कार्य करता है। रक्षा सचिव, रक्षा विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

थल सेना *(Army)*

- भारतीय थल सेना (Indian Army) देश की क्षेत्रीय अखंडता को सुरक्षित रखने के लिये राष्ट्रीय सीमाओं के दुर्गम इलाकों और मौसम का सामना करते हुए हर स्थिति में प्रतिबद्ध रहती है।
- भारतीय थल सेना की प्रशिक्षण टीमें विश्व के 10 देशों में उनकी सेनाओं को प्रशिक्षण देने और युद्ध कौशल सिखाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही हैं।
- थलसेना का आधुनिकीकरण 5 उप-व्यवस्थाओं यानी घातक शक्ति (Lethality), बचे रहने की योग्यता (Survivability), गतिशीलता (Mobility), स्थिति के प्रति जागरूकता (Situational Awareness) और टिके रहने की क्षमता (Sustainability) के आधार पर किया जा रहा है।
- भारतीय थल सेना इस समय संयुक्त राष्ट्र के 15 अभियानों में से 7 अभियानों में सबसे बड़ी सेना भेजने वालों में से एक है।
- भारत ने सीनियर मिशन अधिकारियों, महिला सैन्य अधिकारियों और चुनिंदा अफ्रीकी सहयोगियों के लिये बड़े स्तर पर यूएन पीसकीपिंग कोर्स आयोजित किये हैं और वह एक प्रमुख प्रशिक्षक बनकर उभरा है।

नौसेना *(Navy)*

- नौसेना का उद्देश्य वैध प्रयोजन के लिये राष्ट्र की सीमा में आने वाले समुद्र के इस्तेमाल को सुरक्षित बनाना है, साथ ही अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले समुद्र के शत्रुतापूर्ण इस्तेमाल के विरुद्ध रक्षा करना है।
- नौसेना का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है जिसमें एक तरफ शत्रु से सुरक्षा करना तो दूसरी तरफ मानवीय सहायता और प्राकृतिक विपदा के समय राहत पहुँचाने का कार्य करना शामिल है।

10 शिक्षा (Education)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) देश में मानव संसाधन के विकास को समर्पित मंत्रालय है। मंत्रालय दो विभागों में विभाजित है-
 (i) **स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग**- यह प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है।
 (ii) **उच्च शिक्षा विभाग**- यह विश्वविद्यालयी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, छात्रवृत्ति आदि से संबंधित है।
- शिक्षा, मानव संसाधन विकास का सार है, जो देश के सामाजिक-आर्थिक ताने-बाने को संतुलित करने में महत्त्वपूर्ण और उपचारात्मक भूमिका निभाती है।
- देश को अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाला जीवन देने के लिये मौलिक शिक्षा के रूप में विकास और देखभाल की आवश्यकता है।
- अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा नई खोजों, नए ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमिता का आधार है जो व्यक्ति के साथ-साथ देश के विकास एवं समृद्धि की शुरुआत करती है।
- शिक्षा के पाठ्यक्रमों और अध्यापन कार्य को समाज एवं अर्थव्यवस्था के हिसाब से प्रासंगिक बनाने की आवश्यकता है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समाज के कमज़ोर वर्गों के छात्रों के शैक्षणिक विकास पर ज़ोर देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:
 - अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांगों के लिये राष्ट्रीय निगरानी समिति का गठन;
 - छात्रों के लिये राष्ट्रीय साधन सह-योग्यता छात्रवृत्ति योजना (NMMSS), माध्यमिक शिक्षा के लिये लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय योजना (NSIGSE);
 - जम्मू और कश्मीर के लिये विशेष छात्रवृत्ति योजना;
 - शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की योजना;
 - भेदभाव की रोकथाम का नियमन तथा ओम्बुड्समैन की स्थापना;
 - रैगिंग के विरुद्ध एक वेब पोर्टल विकसित करना आदि।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार और सर्व शिक्षा अभियान (Right of Children to Free and Compulsory Education and Sarva Shiksha Abhiyan)

- नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 और अनुच्छेद 21क 1 अप्रैल, 2010 से देश में प्रभावी है।
- आरटीई अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को किसी औपचारिक स्कूल (Formal school) में समानता के आधार पर प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इन स्कूलों को कुछ अनिवार्य सिद्धांतों और मानकों का पालन करना होता है।
- सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा अपने-अपने आरटीई (RTE) नियमों की अधिसूचना जारी की जा चुकी है।
- केंद्र-प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) आरटीई अधिनियम को लागू करने में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रयासों में सहयोग और समर्थन देता है।
- इसमें नए विद्यालयों की स्थापना, स्कूलों और अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण, शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण तथा शैक्षिक संसाधन सहायता, नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनीफॉर्म, सीखने (अध्ययन) के स्तर में सुधार हेतु सहयोग, अनुसंधान, मूल्यांकन और निगरानी जैसे हस्तक्षेप (सहयोग) शामिल होते हैं।

कार्यक्रम हस्तक्षेप (Programme Interventions)

1. सर्व सुलभता *(Universal Access)*

- **नए स्कूल:** सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पिछले वर्षों में सर्व सुलभता के लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निरंतर बनी हुई है। पिछले वर्षों में 2,04,740 प्राथमिक विद्यालयों, साथ ही 3 किलोमीटर के दायरे में 1,59,415 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मंज़ूरी दी जा चुकी है।
- **स्कूल न जाने वाले बच्चों को मुख्यधारा में लाने हेतु विशेष प्रशिक्षण:** आरटीई अधिनियम में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उपयुक्त कक्षाओं में प्रवेश देने के लिये विशेष प्रावधान किया गया है। जो बच्चे स्कूल नहीं जा सके हैं, उनमें से अधिकतर बच्चे वंचित (सुविधाविहीन) समुदायों से आते हैं। इन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण आवासीय अथवा गैर-आवासीय पाठ्यक्रम के तौर पर दिया जा रहा है।
- **आवासीय सुविधाएँ:** कम आबादी वाले या पर्वतीय तथा घने जंगलों वाले दुर्गम क्षेत्रों में स्कूली छात्रों के लिये आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है। घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहाँ स्कूल खोलने के लिये ज़मीन आसानी से नहीं मिलती, वहाँ भी आवासीय सुविधा दी जाती है।
- **परिवहन अथवा अनुरक्षण सुविधाएँ:** ये सुविधाएँ उन बच्चों को प्रदान की जाती हैं जो दूर-दराज के क्षेत्रों में बिखरी हुई बस्तियों में

11

ऊर्जा
(Energy)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- ऊर्जा आर्थिक विकास और जीवन-स्तर बेहतर बनाने का एक आवश्यक साधन है।
- समाज में ऊर्जा की बढ़ती ज़रूरतों को उचित लागत पर पूरा करने के लिये ऊर्जा के पारंपरिक साधनों के विकास, ऊर्जा के गैर-परंपरागत, वैकल्पिक, नवीन और नवीकरणीय स्रोतों, जैसे- सौर, पवन और जैव ऊर्जा आदि के विकास और संवर्धन पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।
- देश में ऊर्जा सुलभता की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान के लिये परमाणु ऊर्जा के विकास को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है।

विद्युत (Power)

- विद्युत मंत्रालय देश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिये प्राथमिक तौर पर उत्तरदायी है।
- मंत्रालय-परिप्रेक्ष्य नियोजन, नीति निर्धारण, निवेश संबंधी निर्णयों के लिये परियोजना व्यवस्था, विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, प्रशिक्षण एवं कर्मचारियों का विकास और प्रशासन तथा तापीय एवं पनबिजली उत्पादन के संबंध में कानून का अधिनियम, पारेषण एवं वितरण से संबद्ध है।
- सभी तकनीकी मामलों में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय की सहायता करता है।
- केंद्रीय क्षेत्र में उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं के निर्माण और संचालन का काम केंद्रीय क्षेत्र के बिजली निगमों, यथा–नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (NTPC), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC), नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (NEEPCO) तथा पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (PGCIL) को सौंपा गया है।
- पावर ग्रिड केंद्रीय क्षेत्र में सभी वर्तमान और भावी पारेषण परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय बिजली ग्रिड के निर्माण के लिये भी ज़िम्मेदार है।
- संयुक्त क्षेत्र के दो बिजली निगमों-सतलुज जलविद्युत निगम (SJVN) (पूर्व में इसे नाथपा-झाकड़ी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) और टिहरी पनबिजली विकास निगम (THDC), हिमाचल प्रदेश में नाथपा-झाकड़ी बिजली परियोजना तथा उत्तराखंड में टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स के संचालन के लिये ज़िम्मेदार हैं।
- तीन वैधानिक निकाय, यथा– दामोदर घाटी निगम (DVC), भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यक्रमों के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) वित्तीय सहायता देता है।
- विद्युत वित्त निगम (PFC) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) विद्युत क्षेत्र की परियोजनाओं को आवधिक वित्तीय सहायता देते हैं।
- दो स्वायत्त निकाय (संस्थाएँ), यथा– केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (CPRI) और राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (NTPI) भी विद्युत मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन हैं।
- प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र की विशाल विद्युत परियोजनाओं की सहायता के लिये बिजली व्यापार निगम का गठन किया गया है, जो बिजली खरीद समझौतों (PPAs) को अंतिम रूप देने वाला एकमात्र संगठन है।

क्षमता अभिवृद्धि *(Capacity Addition)*

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 99,209.47 मेगावाट संचयी क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य को अपेक्षा से बेहतर प्राप्त किया गया।

विद्युत उत्पादन *(Power Generation)*

वर्ष 2016-17 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन 1160.141 बीयू रहा जिसमें 994.230 बीयू तापीय, 122.378 बीयू हाइड्रो, 37,916 बीयू परमाणु से और 5.617 बीयू भूटान से आयात रहा। वर्ष 2016-17 के दौरान कोयले और लिग्नाइट आधारित तापीय स्टेशनों का राष्ट्रीय स्तर पर प्लांट लोड फैक्टर (PLF) 59.88 रहा।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएँ *(Ultra Mega Power Projects)*

- भारत सरकार ने नवंबर 2005 में विद्युत मंत्रालय के माध्यम से अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएँ (पिट हैड और आयातित कोयला आधारित दोनों) प्रारंभ करने की पहल की थी।
- इस पहल का उद्देश्य भारत में विशाल क्षमता वाली विद्युत परियोजनाओं का विकास करना था।

एकीकृत विद्युत विकास योजना *(Integrated Power Development Scheme)*

शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने पर बल देने के लिये विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 2014 में एकीकृत विद्युत विकास

12 पर्यावरण (Environment)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्र सरकार की नोडल एजेंसी है।
- यह झीलों तथा नदियों समेत देश के प्राकृतिक संसाधनों, इसकी जैव विविधता, वनों तथा वन्यजीवन के संरक्षण से संबंधित पर्यावरण एवं वन नीतियों तथा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन देखती है।
- यह मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी), दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम (एसएसीईपी), अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वत विकास केंद्र (आईसीआईएमओडी) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन (यूएनसीईडी) की भी नोडल एजेंसी है।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण *(Botanical Survey of India)*

- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बीएसआई) देश के जंगली पादप संसाधनों के वर्गीकरण तथा फूलों के अध्ययन हेतु शीर्ष अनुसंधान संगठन है।
- देश के पादप संसाधनों की तलाश करने तथा आर्थिक महत्त्व वाली पादप प्रजातियों को पहचानने के बुनियादी उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना 1890 में की गई थी।
- आज़ादी के बाद 1954 में भारत सरकार ने देश के वैज्ञानिक विकास के हिस्से के रूप में विभाग का पुनर्गठन किया।
- पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बीएसआई के कामकाज का आधार बढ़ा दिया गया और उसमें कई अन्य गतिविधियाँ भी शामिल कर दी गईं, जैसे- स्थानीय, दुर्लभ तथा जोखिम में पड़ी पादप प्रजातियों की सूची बनाना।
- वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैवमंडल संरक्षण स्थल जैसे दुर्बल पारितंत्रों एवं संरक्षित क्षेत्रों का अध्ययन करना।
- पौधों से संबंधित पारंपरिक ज्ञान को लिखकर रखना तथा हर्बेरियम के नमूनों/जीवित संग्रहों/वनस्पति के चित्रों/रेखाचित्रों, पौधों के वितरण एवं नामकरण, पौधों के उपयोग आदि का राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण *(Zoological Survey of India)*

- 1916 में अपनी स्थापना के बाद से ही इसने सर्वेक्षण, खोज एवं अनुसंधान का काम किया है।
- इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न हिस्सों में इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र है।
- एक के बाद एक पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ज़ेडएसआई का कामकाज भी लगातार बढ़ता गया।
- इसके प्रमुख कार्यों में पर्यावरण पर प्राणियों के प्रभाव का आकलन;
- लुप्तप्राय प्रजातियों की स्थिति का सर्वेक्षण;
- जैव विविधता पर पर्यावरण सूचना प्रणाली (ENVIS);
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू करने में सहायता करना है।

भारतीय वन सर्वेक्षण *(Forest Survey of India)*

- भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) नियमित अंतराल पर देश के वन संसाधनों का आकलन करता है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में 'प्री-इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज' (पीआईएसएफआर) के स्थान पर की गई।
- पीआईएसएफआर को भारत सरकार द्वारा 1965 में आरंभ किया गया था। यह एफएओ एवं यूएनडीपी द्वारा प्रायोजित था।
- पीआईएसएफआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि देश में चुनिंदा क्षेत्रों में लकड़ी पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये कच्चा माल मिलता रहे।
- जून 1981 में पीआईएसएफआर का पुनर्गठन कर एफएसआई की स्थापना की गई।

वनाच्छादन का खाका बनाना (Forest Cover Mapping)

- भारतीय वन सर्वेक्षण प्रत्येक दो वर्ष में उपग्रह से मिली जानकारी का विश्लेषण कर देश के वनाच्छादन का पता लगाता है।
- 1987 से 2017 तक 15 बार ऐसे आकलन किये जा चुके हैं।
- वनाच्छादन के साथ ही वनों के बाहर के वृक्षों (टीओएफ) की सूची से आँकड़े लेकर देशभर में वृक्षों के आवरण का भी आकलन किया जा रहा है।

वनों की सूची (Forest Inventory)

- वनों तथा वनों के बाहर वृक्षों की सूची एफएसआई की दूसरी प्रमुख गतिविधि है।
- एफएसआई 2002 से ही राष्ट्रीय वन सूची (एनएफआई) के लिये नमूने की नई डिज़ाइन का प्रयोग कर रहा है।
- देश को प्राकृतिक भूगोल संबंधी 14 क्षेत्रों में बाँटा गया है और इन क्षेत्रों से 60 ज़िलों को अनेक आकार के अनुपात में छाँटा गया ताकि दो-दो वर्ष में विस्तृत सूची तैयार की जा सके।
- हाल ही में टीओएफ (Tree Outside Forest) संसाधनों की महत्ता बढ़ गई है क्योंकि लकड़ी पर आधारित उद्योगों और समाज की ज़रूरतें पूरी करने में उनकी भूमिका बढ़ गई है।

13

वित्त
(Finance)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- वित्त मंत्रालय पर सरकार के वित्त का प्रशासन संभालने का दायित्व है। इसका संबंध पूरे देश को प्रभावित करने वाले सभी आर्थिक एवं वित्तीय विषयों से है। यह राज्यों को संसाधन के अंतरण (Transfer) समेत सरकार के व्यय का नियमन करता है।
- इस मंत्रालय में पाँच विभाग है, जिनके नाम हैं: (i) आर्थिक मामले (ii) व्यय (iii) राजस्व (iv) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन तथा (v) वित्तीय सेवाएँ।

आर्थिक मामलों का विभाग *(Department of Economic Affairs)*

- विभाग वर्तमान आर्थिक रुझानों पर नज़र रखता है और मूल्य, ऋण, राजकोषीय तथा मौद्रिक नीति एवं निवेश संबंधी नियमन समेत उन सभी मामलों पर सरकार को सलाह देता है, जिनका आर्थिक प्रबंधन के आंतरिक एवं विदेशी पहलुओं पर प्रभाव हो सकता है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संस्कृति तथा शिक्षा के क्षेत्र में हुए अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय विशिष्ट समझौतों के अंतर्गत प्राप्त सहयोग के अतिरिक्त भारत को मिलने वाले सभी प्रकार के विदेशी, वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग की निगरानी भी इसी विभाग द्वारा की जाती है।
- आर्थिक मामलों के विभाग में निम्नलिखित प्रभाग हैं:
 - एकीकृत वित्त प्रभाग;
 - राजकोषीय ज़िम्मेदारी एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) सहित बजट प्रभाग;
 - वित्तीय बाज़ार प्रभाग;
 - द्विपक्षीय सहयोग और प्रशासन प्रभाग;
 - बहुपक्षीय संस्थाएँ प्रभाग;
 - बहुपक्षीय संबंध प्रभाग;
 - सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा के नियंत्रक प्रभाग;
 - आर्थिक प्रभाग;
 - निवेश प्रभाग एवं सिक्का और मुद्रा प्रभाग;
 - अवसंरचना नीति एवं वित्त प्रभाग।
- केंद्रीय बजट तैयार करने और उसे संसद के सामने प्रस्तुत करने का दायित्व भी आर्थिक मामलों के विभाग का है।
- भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले निगम सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसपीएमसीआईएल), का प्रशासनिक नियंत्रण मुद्रा निदेशालय के पास होता है।
- बैंक नोट एवं सिक्कों के डिज़ाइन अथवा सुरक्षा तत्त्वों से संबंधित नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार करने तथा क्रियान्वित करने एवं स्मारक सिक्के जारी करने के अतिरिक्त निदेशालय को इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियाँ संचालित करने तथा बैंक नोट एवं अन्य सुरक्षा उत्पादों के उत्पादन हेतु समस्त आवश्यक सामग्री का स्वदेशीकरण करने का अधिकार है।

वार्षिक बजट *(Annual Budget)*

भारत का केंद्रीय बजट (रेल बजट समेत) प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम कार्य दिवस पर भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

वार्षिक वित्तीय विवरण *(Annual Financial Statement)*

- संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिये भारत सरकार की अनुमानित आय अथवा प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण संसद के सामने प्रस्तुत करना होता है।
- 'वार्षिक वित्तीय विवरण' कहलाने वाला यह विवरण ही बजट का मुख्य दस्तावेज़ होता है।
- वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार की आय एवं भुगतान को तीन भागों में दिखाता है:
 - (क) समेकित निधि/संचित निधि (Consolidated Fund), (ख) आकस्मिक निधि (Contingency Fund), (ग) लोक खाता (Public Account)।
- सरकार का सभी प्रकार का व्यय समेकित निधि से ही होता है।
- संसद से अनुमति प्राप्त किये बगैर समेकित निधि से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता।
- संसद की अनुमति के बगैर ही आपात एवं अप्रत्याशित व्यय करने के लिये अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में राष्ट्रपति के अधीन आकस्मिक निधि होती है।
- ऐसे व्यय के लिये तथा इसके समतुल्य राशि का आहरण समेकित निधि से करने के लिये बाद में संसद से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है। बाद में आकस्मिक निधि से खर्च हुई राशि की भरपाई कर दी जाती है।
- संसद द्वारा अधिकृत समग्र निधि (The corpus of the fund) में अभी ₹500 करोड़ की राशि है।
- सरकार की समेकित निधि से संबंधित सामान्य प्राप्तियों एवं व्यय के अतिरिक्त कुछ अन्य निश्चित लेन-देन सरकार के खातों में आते हैं, जिनके संदर्भ में सरकार बैंकर के समान काम करती है।

14 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय मुख्यत: कंपनी अधिनियम, 2013; कंपनी अधिनियम, 1956; सीमित देयता भागीदारी फर्म अधिनियम, 2008 तथा इनके तहत बनाए गए अन्य संबद्ध कानूनों तथा नियमों एवं विनियमों से संबंधित कार्य देखता है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से कॉरपोरेट क्षेत्र की कार्यप्रणाली का कानून के अनुसार नियमन करना है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक ढाँचा त्रि-स्तरीय है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय का मुख्यालय नई दिल्ली में और सात क्षेत्रीय महानिदेशक कार्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली तथा शिलॉन्ग में हैं।
- इसके अतिरिक्त मंत्रालय के 15 कंपनी पंजीयक कार्यालय और 14 आधिकारिक परिसमापक (Liquidators) हैं।

केंद्रीय पंजीकरण केंद्र *(Central Registration Centre)*

- कंपनी निगमीकरण की प्रक्रिया में परिवर्तन के लिये ई-प्रपत्र परियोजना लागू की गई जिसका स्पष्ट उद्देश्य यह था कि नाम आरक्षण तथा कंपनी के निगमीकरण की प्रोसेसिंग भुगतान पुष्टि की तिथि+1 दिन में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप की जा सकती है।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने आवेदकों के नाम आरक्षण प्रोसेस करने के लिये 2016 में केंद्रीय पंजीकरण केंद्र का पहला चरण शुरू किया और 2016 में ही कंपनी आवेदकों के निगमीकरण पर अमल करने का दूसरा चरण आरंभ किया।
- इन सब परिणामों के फलस्वरूप निगमीकरण संबंधी आवेदनों की प्रोसेसिंग की गति में तेज़ी आई है, पारदर्शिता बढ़ी है साथ ही एकरूपता में बढ़ोतरी और विवेकाधिकार में कमी (Eradication of Discretion) आई है।

व्यवसाय करने की सुगमता *(Ease of Doing Business)*

- मंत्रालय ने ई-एमओए (इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन) तथा ई-एओए (इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन) के साथ कंपनियों के निगमीकरण के लिये सरल निर्देशन-पत्र (एसपीआईसीई) तय किया है जिससे आवेदक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तथा इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और उद्यमियों को बिना किसी बाधा के भारत में कारोबार शुरू करने में सहायता मिलती है।
- निगमीकरण के लिये फीस ₹2,000 से घटाकर ₹500 कर दी गई है।
- कंपनी निगमीकरण फार्म के स्थान पर एकीकृत आईएनसी-29 फार्म लाया गया है। इस फार्म की प्रोसेसिंग 1-2 कार्यदिवसों में की जा रही है।
- पैन जारी करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंपनियों के निगमीकरण के लिये एसपीआईसीई का उपयोग करते हुए निगमित कंपनी को पहला टैन जारी करने के लिये एमसीए-21 प्रणाली का केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ इलेक्ट्रॉनिक एकीकरण किया गया है।
- अब हितधारक पैन और टैन के लिये निगमीकरण आवेदन प्रस्तुत करने के समय आवेदन करते हैं।
- आय कर विभाग द्वारा दिया गया पैन फरवरी 2017 से कंपनी निगमीकरण के प्रमाण-पत्र पर चिपका दिया जाता है। इससे अनेक तरह की प्रोसेसिंग की संख्या और देश में व्यवसाय शुरू करने में लगने वाले समय में कमी आई है।
- कंपनी नियम, 2014 (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियाँ) के नियम 15 में मार्च 2017 से संशोधन किया गया है ताकि निवल मूल्य/निवल कारोबार की सीमा 10 प्रतिशत से कम हो। पहले 10 प्रतिशत से अधिक की सीमा के लिये केवल बोर्ड के स्थान पर सदस्यों की स्वीकृति लेनी पड़ती थी।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक समान मुहर को वैकल्पिक बनाया गया है।

सीबीडीटी तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन

- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (Ministry of Corporate Affairs) तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के बीच आँकड़ों के आदान-प्रदान के लिये 6 सितंबर, 2017 को आधिकारिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया गया।
- यह देश में फर्ज़ी कंपनियों (शेल कंपनियों), धनशोधन और काला धन की समस्या से निपटने और विभिन्न गैर-कानूनी उद्देश्यों के लिये शेल कंपनियों के ज़रिये कॉरपोरेट संरचना का दुरुपयोग रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए कदम को प्रोत्साहन देगा।

कंपनी अधिनियम, 2013 *(Companies Act, 2013)*

- कंपनी अधिनियम, 2013 कॉरपोरेट क्षेत्र को और अधिक अवसर प्रदान करता है और पारदर्शिता बनाए रखने तथा प्रकटीकरण के लिये स्व-नियमन का अवसर प्रदान करता है।

15 खाद्य और नागरिक आपूर्ति (Food and Civil Supplies)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- वर्ष 1983 में खाद्य विभाग को कृषि मंत्रालय से अलग कर एक नए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के रूप में गठन किया गया।
- जून 1991 में एक स्वतंत्र खाद्य मंत्रालय का गठन किया गया। लेकिन मार्च 1992 में कार्यकुशलता में सुधार करने के उद्देश्य से खाद्य मंत्रालय, जिसमें पहले एक ही विभाग था, को दो विभागों-खाद्य विभाग और खाद्य खरीद और वितरण विभाग में बाँट दिया गया।
- जून 1997 में खाद्य मंत्रालय और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का विलय कर 'खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय' का गठन किया गया जिसमें तीन विभाग- खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, शर्करा एवं खाद्य तेल विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग रखे गए।
- अक्तूबर 1999 में खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय का नाम बदलकर उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय नाम दिया गया जिसमें ये तीनों विभाग यथावत रखे गए।
- अंततः जुलाई 2000 में तत्कालीन उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का नाम उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय रखा गया, जिसमें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उपभोक्ता मामले विभाग के नाम से दो विभाग रखे गए, जो वर्तमान में कार्यरत हैं।
- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की पर्याप्त खरीद, भंडारण तथा खाद्यान्न वितरण कर अनाज का बफर स्टॉक बनाए रखने सहित नीतिगत उपायों के ज़रिये खाद्यान्न, चीनी तथा खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करके लक्षित सार्वजनिक प्रणाली के माध्यम से, विशेष रूप से समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिये उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना है।

अनाज की खरीद *(Procurement of Foodgrains)*

- भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) किसानों को समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकारों की एजेंसियों की सहायता से विभिन्न राज्यों में गेहूँ, धान तथा मोटे अनाजों की खरीद करता है।
- प्रत्येक रबी/खरीफ मौसम के पहले केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा करती है, जिसमें विभिन्न कृषि निवेशों की लागत और किसानों को उनकी उपज के लिये उचित लाभ प्राप्ति को ध्यान में रखा जाता है।
- खरीद मौसम प्रारंभ होने से पहले संबंधित राज्य की वसूली क्षमता और विस्तार को ध्यान में रखते हुए एफसीआई और राज्य सरकारों की एजेंसियों द्वारा आपसी सलाह से पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र स्थापित किये जाते हैं।
- इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य सरकारें स्वयं अनाजों की खरीद और वितरण का कार्य करती हैं।
- हाल के वर्षों में अनाज पैदावार में वृद्धि और पूर्वी भारत में हरित क्रांति पर बल दिये जाने से अनेक राज्यों में खरीद कार्यों का विस्तार हुआ है, जिससे खाद्यान्नों का संचित केंद्रीय पूल स्टॉक 319 लाख टन के बफर मानक की तुलना में रिकॉर्ड 805.16 लाख टन पहुँच गया है।
- केंद्रीय पूल में अनाज (गेहूँ और चावल) का भंडार जुलाई 2017 में 533.19 लाख टन (210.44 लाख टन चावल तथा 322.75 लाख टन गेहूँ) था।
- अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अनाजों (गेहूँ और चावल) की कुल खरीद 521.66 लाख टन रही। इसमें 292.95 लाख टन चावल और 228.71 लाख टन गेहूँ था।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा *(National Food Security)*

- भारत सरकार ने जनता की खाद्य सुरक्षा के संकल्प को मज़बूत बनाने के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 बनाया, जो 2013 से ही लागू हुआ।
- इस अधिनियम का उद्देश्य मानव जीवनचक्र की दृष्टि से लोगों को सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने के लिये उचित दरों पर गुणवत्ता युक्त आहार सुनिश्चित करके खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा प्रदान करना है।
- यह कानून खाद्य सुरक्षा की अवधारणा में बदलाव का संकेत देता है और अब खाद्य सुरक्षा, कल्याण आधारित न रहकर अधिकार आधारित हो गई है।
- इस अधिनियम में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर पर अनाज प्राप्त करने के लिये 75 प्रतिशत ग्रामीण आबादी तथा 50 प्रतिशत शहरी आबादी को कवर करने का प्रावधान है।
- उच्च रियायती दर पर अनाजों की प्राप्ति दो श्रेणियों– अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के अंतर्गत आने वाले परिवार की श्रेणी और प्राथमिकता वाले परिवार की श्रेणी में होती है।

16 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (Health and Family Welfare)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पर राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने और प्रमुख संक्रामक तथा गैर-संक्रामक रोगों की रोकथाम, नियंत्रण और देशभर में अनुसंधान को बढ़ावा देने की ज़िम्मेदारी है।
- मंत्रालय पर स्वास्थ्य तथा संबंधित विषयों पर नीतियाँ बनाने, स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू करने में राज्यों का मार्गदर्शन, केंद्र-प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों के प्रबंधन, चिकित्सा, नियमन (औषधियाँ और उपकरण) और स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने का दायित्व भी है।
- मंत्रालय के दो विभाग हैं-स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग।
- एड्स नियंत्रण विभाग का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विलय कर दिया गया है। अब इसे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (National AIDS Control Organization–NACO) के नाम से जाना जाता है।
- आयुष विभाग को नवंबर 2014 में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में बदल दिया गया। इसका उद्देश्य इन चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
- स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय इसका संबद्ध कार्यालय है जो जनस्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी सभी मामलों में तकनीकी परामर्श देता है और स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यक्रम लागू करने में शामिल होता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (National Health Policy)

- वर्ष 2017 में नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति जारी की गई। यह बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों और प्रौद्योगिकी तथा महामारी संबंधी परिदृश्य से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने में कारगर है।
- नई नीति का उद्देश्य रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने और सबके लिये सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे सभी को स्वास्थ्य सहायता प्राप्त हो सके।

नीति आयोग के तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा (2017-18 से 2019-20) में स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय आवंटन

- स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में किये गए कुल आवंटन लगभग ₹ 30,000 करोड़ को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹ 1,00,000 करोड़ करना है।
- इस प्रकार स्वास्थ्य पर कुल खर्च 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 3.6 प्रतिशत हो जाएगा।
- स्वास्थ्य सुविधाओं पर किया जाने वाला व्यय लोगों के सामाजिक कल्याण एवं कुशल मानव संसाधन का विकास करने के लिये आवश्यक है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 में संसाधनों का बड़ा हिस्सा (दो-तिहाई या इससे अधिक) प्राथमिक चिकित्सा सेवाओं के लिये आवंटित करने की सिफारिश की गई है और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रति 1,000 की आबादी के लिये कम-से-कम दो बिस्तरों की उपलब्धता इस तरह से सुनिश्चित करना है ताकि आपात स्थिति में ज़रूरत पड़ने पर इसे उपलब्ध कराया जा सके।

नोट: राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की परिकल्पना के अनुसार 1.5 लाख स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। बजट 2018-19 में इसके लिये ₹ 1200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की विशेषताएँ:**
 - **सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण:** यह निवारक और प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ तेजी से बढ़ने वाले सुनिश्चितता आधारित दृष्टिकोण की सिफारिश करती है।
 - **अल्प पोषकता अपूर्णता:** अल्प पोषकता तथा कुपोषण को कम करने और सभी क्षेत्रों में पोषकता की कमी की विविधता के समाधान के लिये व्यवस्थित तरीके अपनाना।
 - **मेक इन इंडिया पहल:** भारतीयों को परंपरागत स्वदेशी उत्पाद उपलब्ध कराने के लिये स्थानीय विनिर्माताओं को प्रोत्साहित करने पर ज़ोर देना।
 - **डिजिटल हेल्थ का इस्तेमाल:** स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने और उनमें सुधार के लिये डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ताकि दक्षता, पारदर्शिता और नागरिक अनुभव में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission)

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य और एड्स, टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग जैसे संक्रामक रोगों पर काबू पाने के वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में प्रयासरत हैं।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सबसे अधिक ज़ोर स्वास्थ्य देखभाल के लिये वित्त सहायता बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का कम-से-कम 2 प्रतिशत करने पर दिया गया है।

17

आवास (Housing)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- भूतपूर्व शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय को 6 जुलाई, 2017 को मिलाकर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की नींव रखी गई थी।
- नए मंत्रालय का कार्य समग्र शहरी विकास के लिये विभिन्न योजनाओं की तैयारी और उन्हें अमल में लाने के साथ-साथ शहरी अवसंरचना और कुशल प्रशासन जैसे कार्यों को देखना है।
- 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में विभिन्न जनसांख्यिकीय आधार पर 377.16 मिलियन की कुल आबादी के साथ भिन्न जनसंख्या अनुपात वाले 7,933 शहर और कस्बे हैं।
- देश के सकल घरेलू उत्पाद का 60 प्रतिशत शहरों से ही प्राप्त हो रहा है।
- शहरीकरण के कारण कई बड़ी चुनौतियाँ भी सामने आ खड़ी हुई हैं, जिनमें से अधिकांश आवास, अवसंरचना और सेवा क्षेत्र से जुड़ी हैं।
- इन चुनौतियों को देखते हुए शहरीकरण की संभावनाओं और वहाँ मौजूद अवसरों का एक साथ लाभ उठाने के लिये कई नई पहलें की गई हैं।
- 'स्मार्ट सिटीज़ मिशन', 'सभी के लिये आवास', 'स्वच्छ भारत मिशन', 'अमृत', 'हृदय' ऐसी ही कुछ नई पहलें हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना- सभी के लिये आवास (शहरी) मिशन *[Pradhan Mantri Awas Yojana– Housing for All (Urban) Mission]*

- वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2015 में पीएमएवाई-सभी के लिये आवास (शहरी) मिशन प्रारंभ किया।
- यह अभियान मलिन बस्तियों में रहने वाले शहरी गरीबों तथा ऐसे ही अन्य लोगों के लिये है। इसमें विभिन्न तबकों के शहरी गरीबों के लिये सरकार की पहलें शामिल हैं:
 - मलिन बस्ती पुनर्वास–भूमि को संसाधन रूप में उपयोग करते हुए निजी विकास कर्त्ताओं की सहभागिता से मलिन बस्तियों को पुन: विकसित करना, ऐसी सभी परियोजनाओं में सभी पात्र मलिन बस्ती निवासियों को औसतन ₹1 लाख प्रति आवास की अनुदान सहायता देना;
 - ऋण युक्त अनुदान के माध्यम से कमज़ोर वर्गों के लिये मूल्य वहन योग्य आवासों को बढ़ावा देना;
 - लोक एवं निजी क्षेत्र की भागीदारी से मूल्य वहन योग्य आवास निर्माण;
 - लाभार्थी द्वारा स्वयं का आवास निर्माण या उसके प्रोत्साहन हेतु अनुदान सहायता।
- सामुदायिक केंद्र, पार्क और खेल के मैदान सरीखी सामाजिक आधारभूत संरचना युक्त 30 वर्गमीटर कॉर्पेट एरिया वाले आवास उपलब्ध करवाए जाएंगे।
- मिशन के अंतर्गत ₹3 लाख वार्षिक आय वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को शहरी निर्धन तथा ₹3-6 लाख वार्षिक आय वाले वर्गों को निम्न आय वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है।
- लाभार्थियों का सत्यापन राज्य/यूएलबी (Urban Local Body's) करेंगे।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मूल्य वहन योग्य भूमि का निर्धारण करने के लिये मास्टर प्लान बनाने/उसमें संशोधन करते समय भूमि एकत्रीकरण (लैंड पूलिंग) व्यवस्था जैसे अभिनव उपाय करेंगे।

तकनीकी उप-मिशन (Technology Sub-Mission)

- पीएमएवाई-एचएफए (अर्बन) मिशन के अंतर्गत एक तकनीकी उप-मिशन स्थापित किया गया था।
- यह विभिन्न भू-जलवायु विषयक क्षेत्रों के अनुकूल नक्शे और भवन निर्माण योजनाएँ बनाने और उन्हें लागू करने में सहायक होने के साथ ही राज्यों/नगरों को आपदा निवारण उपायों एवं पर्यावरण सह-प्रौद्योगिकियाँ क्रियान्वित करने में सहायक होगा।

दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन *(Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission)*

- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को मिला कर दीनदयाल अंत्योदय योजना (डीएवाई) नाम दिया गया है।
- एनयूएलएम का कार्य विस्तार सभी वैद्यानिक नगरों में करके नया नाम 'डीएवाई-एनयूएलएम' दिया गया है।
- इसका प्राथमिक लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों, महिला प्रमुख परिवारों, दिव्यांगजनों, निराश्रितों (Destitute), प्रवासी श्रमिकों, विशेष रूप से फेरी वाले, कबाड़ बीनने वाले, घरेलू कामगार, भिखारी, निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को जागरूक करना और बेघर लोगों को चरणबद्ध क्रम में आवश्यक सेवाओं से युक्त आश्रय उपलब्ध करवाना है।
- मिशन के अंतर्गत गलियों में फेरी लगाने वालों को उनके व्यवसाय हेतु उचित जगह, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और बाज़ार में भविष्य में मिल सकने वाले अवसरों एवं चुनौतियों के अनुरूप प्रशिक्षण देकर रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा।

18 उद्योग (Industry)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- भारत सरकार की औद्योगिक नीति का उद्देश्य उत्पादकता में निरंतर वृद्धि बनाए रखना, बेहतर रोज़गार मुहैया कराना, मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के स्तर तक पहुँचना और वैश्विक परिदृश्य में बड़ा प्रतिभागी बनना है।
- सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण से जुड़े क्षेत्रों को छोड़कर ज़्यादातर उद्योगों में औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जोकि इस प्रकार हैं-
 - इलेक्ट्रॉनिक एयरोस्पेस और रक्षा उपकरण;
 - डेटोनेटिंग फ्यूज़ों समेत औद्योगिक विस्फोटक, बारूद सेल्युलोज़ और माचिस;
 - कुछ विशेष प्रकार के हानिकारक रसायन, जैसे- हाइड्रोसायनिक एसिड और उसके व्युत्पाद, फॉसजीन और उसके व्युत्पाद, हाइड्रोकार्बन के आइसोसाइनेट्स एंड डाइसोसाइनेट्स, जिनका उल्लेख अन्य कहीं नहीं है (जैसे- मिथाइल आइसोसाइनेट);
 - तंबाकू वाले सिगार व सिगरेट और तंबाकू से बने अन्य पदार्थ।
- इस समय निर्माण, परिचालन और रखरखाव के क्षेत्रों के अलावा केवल परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिचालन ही सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित हैं।
- जो उद्योग लाइसेंस की अनिवार्यता के दायरे में नहीं आते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के लिये आरक्षित नहीं हैं, उन्हें औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) में औद्योगिक सहायता सचिवालय (एसआईए) में एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) देना होता है।
- औद्योगिक लाइसेंस और औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन (आईईएम) के लिये आवेदन ई-बिज़ वेबसाइट पर किसी मानवीय संपर्क के बिना चौबीसों घंटे ऑनलाइन कर दिया गया है।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक *(Index of Industrial Production)*

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले कार्य को प्रदर्शित करता है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) हर माह संकलित और ज़ारी करता है।
- सीएसओ ने मई 2017 में आईआईपी के आधार वर्ष को 2004-05 के स्थान पर 2011-12 कर दिया।
- इसके तहत तीन क्षेत्र- खनन, विनिर्माण और विद्युत आते हैं।
- नए आधार वर्ष के अनुसार 2016-17 में आईआईपी ने विद्युत उत्पादन (5.8 प्रतिशत), खनन (5.3 प्रतिशत) और विनिर्माण (4.4 प्रतिशत) के बल पर 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की।
- अप्रैल-अगस्त, 2017-18 के दौरान आईआईपी ने 2.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की क्योंकि विनिर्माण में 1.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि खनन और विद्युत उत्पादन में क्रमशः 3.3 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

आठ मुख्य उद्योगों में वृद्धि का रुझान *(Trends in Growth of Eight Core Industries)*

- आईआईपी में आधार वर्ष में बदलाव के समान औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के आर्थिक सलाहकार कार्यालय ने आठ प्रमुख उद्योगों के आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 कर दिया।
- आईसीआई (Index of Eight Core Industries) में शामिल किये गए उद्योग का आईआईपी में मोटे तौर पर 40 प्रतिशत भार है।
- आईसीआई ने 2016-17 में जोरदार वापसी करते हुए 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की।
- कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, बिजली के क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि दिखाई दी और इस्पात ने सबसे उत्साहजनक 10.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की।

औद्योगिक/आर्थिक गलियारा *(Industrial/Economic Corridors)*

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (Delhi-Mumbai Industrial Corridor)

- दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी) परियोजना को 'पश्चिमी समर्पित मालवहन गलियारे' (डब्ल्यूडीएफसी) के दोनों और वैश्विक विनिर्माण एवं निवेश गंतव्य के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- इस परियोजना के विकास, समन्वय और क्रियान्वयन के लिये एक विशेष उद्देश्य संवाहक (एसपीवी) के साथ एक संस्थागत ढाँचा दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) का गठन किया गया।

19 विधि और न्याय (Law and Justice)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- विधि और न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग (Oldest Limb) है। यह 1833 के समय का है, जब ब्रिटिश संसद ने चार्टर अधिनियम, 1833 बनाया था।
- इस अधिनियम में पहली बार एक ही प्राधिकार, गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई थी। इस प्राधिकार के प्रभाव और इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 की धारा 22 के अंतर्गत निहित अधिकारों से गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल ने वर्ष 1834 से वर्ष 1920 तक देश के लिये कानून बनाए।
- भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के पारित होने के साथ ही भारत एक डोमिनियन राष्ट्र बन गया और इसकी विधायिका ने इंडिया (अनंतिम संविधान) ऑर्डर, 1947 द्वारा रूपांतरित भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के अंतर्गत 1947 से 1949 तक कानून बनाए।
- 26 जनवरी, 1950 को लागू भारत के संविधान के अंतर्गत संसद को विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई।
- विधि और न्याय मंत्रालय में तीन विभाग हैं- विधि कार्य विभाग, विधायी विभाग और न्याय विभाग।
- 'विधि कार्य विभाग' को कानूनी कामकाज सौंपा गया है, जैसे- संविधान तथा कानूनों की व्याख्या, मुकदमेबाजी, कानूनी व्यवसाय, कानूनों में सुधार, दीवानी कानून के मामलों में विदेशों के साथ संधियाँ तथा समझौते, भारतीय विधि सेवा सहित विधि सेवाएँ आदि।
- 'विधायी विभाग' को केंद्र सरकार के कानूनों के लिये विधायी प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा गया है।
- 'न्याय विभाग' को भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके त्यागपत्र तथा उन्हें हटाने का कार्य दिया गया है।

भारतीय विधि व्यवस्था *(Indian Legal System)*

- भारतीय विधि व्यवस्था में चार घटकों को शामिल किया गया। ये हैं- संविधान में निहित बुनियादी मूल्य तथा सिद्धांत, साधारण कानून से सौंपे गए अधिकार तथा ज़िम्मेदारियाँ, संविधान के तहत इन अधिकारों तथा ज़िम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये संगठनात्मक व्यवस्था और विधि तथा न्यायिक कर्मी (Judicial Personnel)।

विधि के स्रोत *(Sources of Law)*

- भारत में विधि के प्रमुख स्रोत संविधान, संविधि (कानून), पारम्परिक कानून (Customary Law) और निर्णयविधि (Case Law) हैं।
- कानून संसद और राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाएँ बनाती हैं। इनके अलावा अनेक गौण कानून हैं जिन्हें नियमों, विनियमों और उप-कानूनों के रूप में केंद्र/राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्राधिकरणों, जैसे- नगर निगमों, नगर पालिकाओं, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों द्वारा बनाया गया है।
- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक फैसले कानून के महत्त्वपूर्ण स्रोत हैं। भारतीय क्षेत्र के अंदर सभी अदालतें उच्चतम न्यायालय के फैसलों को मानने के लिये बाध्य हैं।
- स्थानीय परिपाटियाँ और परंपराएँ जो वैधानिकता, नैतिकता आदि के विरुद्ध नहीं हैं, उन्हें भी मान्यता प्राप्त है और कुछ क्षेत्रों में न्याय करते समय अदालतें इन्हें भी ध्यान में रखती हैं।

कानून बनाना *(Enactment of Law)*

- केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त है। राज्य सूची के मामलों पर विधानमंडल कानून बनाने में सक्षम है।
- राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में शामिल नहीं किये गए मामलों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है।
- समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर संसद और विधानमंडल दोनों के द्वारा कानून बनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रतिकूलता की स्थिति में, संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।

न्यायपालिका *(Judiciary)*

- भारत का उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष पर है। प्रत्येक राज्य अथवा राज्यों के समूह के लिये एक उच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालयों का अनुक्रम है।
- कुछ राज्यों में छोटे-मोटे और स्थानीय प्रकृति के दीवानी और फौजदारी विवादों का निपटारा करने के लिये 'न्याय पंचायत', 'पंचायत अदालत', 'ग्राम कचहरी' आदि नामों से पंचायत अदालतें काम कर रही हैं।
- प्रत्येक ज़िले में शीर्ष अदालत, ज़िला और सत्र न्यायालय होता है। ज़िला अदालत दीवानी न्याय की प्रधान अदालत है और इसमें मृत्युदंड दिये जाने वाले मामलों सहित हर तरह के अपराधों का मुकदमा चलाया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय *(Supreme Court)*

- भारत के उच्चतम न्यायालय में एक प्रधान न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश हैं जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

20 श्रम, कौशल विकास और रोज़गार (Labour, Skill Development and Employment)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्त्वपूर्ण और सबसे पुराने मंत्रालयों में से एक है। मंत्रालय को आमतौर पर श्रमिकों और खासतौर पर समाज के गरीबों, उपेक्षितों और वंचितों के हितों की रक्षा की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके अलावा मंत्रालय उत्पादन और उत्पादकता को उच्चतर स्तर पर ले जाने के लिये स्वस्थ माहौल तैयार करने का प्रयास करता है तथा व्यावसायिक कौशलों के प्रशिक्षण और रोज़गार सेवाओं के संचालन कार्य भी करता है।
- इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये मंत्रालय श्रमिकों को सेवा तथा रोज़गार देने के नियमों और शर्तों को विनियमित करने वाले विभिन्न श्रम कानूनों पर अमल सुनिश्चित करता है।
- भारत के संविधान में श्रम को **समवर्ती सूची** में रखा गया है इसलिये राज्य सरकारों को भी इस बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

नई पहलें (New Initiatives)

राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना *(National Career Service Project)*

- रोज़गार से संबंधित विभिन्न सेवाओं, जैसे- रोज़गार परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन और कौशल विकास व प्रशिक्षुता जैसे पाठ्यक्रमों के बारे में सूचनाएँ प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय रोज़गार सेवा में आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से मंत्रालय राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) परियोजना का मिशन मोड में कार्यान्वयन कर रहा है।
- एनसीएस परियोजना का विस्तार कर एनसीएस पोर्टल पर तमाम रोज़गार कार्यालयों को आपस में जोड़ दिया गया है ताकि ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।
- इस परियोजना के अंतर्गत सूचना टेक्नोलॉजी संबंधी उन्नयन, रोज़गार कार्यालयों में छोटे-मोटे सुधार और रोज़गार मेले आयोजित करने के लिये राज्यों को आंशिक रूप से धन उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है।

प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना *(Pradhan Mantri Rojgar Protsahan Yojana)*

- 2016-17 में शुरू की गई प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।
- इसके अंतर्गत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में नामदर्ज़ कराने वाले सभी नए कर्मचारियों के लिये पहले तीन साल तक कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के 8.33 प्रतिशत अंशदान का भुगतान करेगी।
- इससे नियोक्ताओं को बेरोज़गार लोगों को नौकरी देने को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ अनौपचारिक रूप से कार्य कर रहे कर्मचारियों की सेवाएँ नियमित करने के लिये भी बढ़ावा मिलेगा।
- यह योजना उन कर्मचारियों पर लागू होगी जिनकी मासिक आय ₹15,000 होगी।

श्रम सुविधा पोर्टल *(Shram Suvidha Portal)*

- मंत्रालय ने एकीकृत श्रम सुविधा पोर्टल बनाया है ताकि श्रम कानूनों को लागू करने में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके और श्रम नियमों के अनुपालन में जटिलताओं को कम किया जा सके।

पारदर्शी श्रम निरीक्षण योजना *(Transparent Labour Inspection Scheme)*

- जोखिम पर आधारित वस्तुनिष्ठ मानदंडों के अनुसार निरीक्षण के लिये कंप्यूटर आधारित सूची तैयार की जाती है। गंभीर मामलों को अनिवार्य निरीक्षण सूची में रखा जाता है।
- आँकड़ों और प्रमाणों पर आधारित जाँच के बाद शिकायत वाले निरीक्षणों का केंद्रीय रूप से निर्धारण किया जाता है। निरीक्षण रिपोर्टों को 72 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।

एकल संयुक्त वार्षिक विवरण *(Single Unified Annual Report)*

श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने आठ श्रम अधिनियमों के लिये एकल संयुक्त वार्षिक विवरण प्रारंभ किया है। इससे रोज़गार देने वाले संगठनों के लिये इन अधिनियमों के तहत अलग-अलग विवरण भरने के बजाय केवल एक सरलीकृत विवरण ऑनलाइन भरना पड़ता है जो बड़ा सुविधाजनक है।

श्रम संहिता *(Labour Codes)*

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के उपायों को सुदृढ़ करने के लिये श्रम कानूनों पर अमल में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने और रोज़गार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिये श्रम कानूनों पर अमल को आसान बनाने के लिये कई पहलें की हैं।

21

जनसंचार
(Mass Communication)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, टेलीविज़न, फिल्मों, प्रकाशन, विज्ञापन जैसे जनसंचार के साधनों और संचार के पारंपरिक तरीकों, जैसे- नाटक, संगीत और नृत्य के ज़रिये लोगों को निर्बाध रूप से सूचना उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- मंत्रालय विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की मनोरंजन संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है और लोगों को राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, निरक्षरता खत्म करने, महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूक करता है।

प्रसार भारती *(Prasar Bharati)*

- प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) भारत का लोक सेवा प्रसारक है। इसके दो घटक हैं- आकाशवाणी और दूरदर्शन।
- 23 नवंबर, 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य रेडियो और दूरदर्शन पर सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं का आयोजन एवं संचालन कर लोगों को सूचित, शिक्षित और उनका मनोरंजन करना है।
- प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) अधिनियम, 1990 के अंतर्गत प्रसार भारती निगम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं-
 - देश की एकता, अखंडता और देश के संविधान द्वारा संस्थापित मूल्यों को बनाए रखना;
 - राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना;
 - लोक हित के मामलों की सूचना पाने के नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और निष्पक्ष और संतुलित सूचना प्रदान करना;
 - शिक्षा और साक्षरता के प्रसार, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान देना;
 - महिलाओं से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और बच्चों, वृद्धों और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिये विशेष कदम उठाना;
 - विभिन्न संस्कृतियों, खेलों और युवा मामलों पर ध्यान देना;
 - सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना और कामगारों और अल्पसंख्यकों तथा जनजातीय समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना;
 - प्रसारण तकनीक का विकास, इसकी सुविधाओं का विस्तार और शोध को बढ़ावा देना।

प्रसार भारती बोर्ड *(Prasar Bharati Board)*

प्रसार भारती निगम, प्रसार भारती बोर्ड द्वारा चलाया जाता है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यकारी सदस्य (जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से भी जाना जाता है), सदस्य (वित्त), सदस्य (कार्मिक), छह अंशकालिक सदस्य, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक पदेन सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं।

आकाशवाणी *(All India Radio)*

- रेडियो के आविष्कार और कुछ पश्चिमी देशों में रेडियो प्रसारण की शुरुआत के बाद मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे भारतीय शहरों में कुछ निजी रेडियो क्लबों द्वारा प्रसारण शुरू हुआ।
- जून 1923 में बॉम्बे के एक रेडियो क्लब द्वारा पहला कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। इसके बाद एक प्रसारण सेवा की स्थापना हुई जिसमें भारत सरकार और एक निजी कंपनी 'भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कंपनी लिमिटेड' के बीच समझौते के तहत 23 जुलाई, 1927 को मुंबई और कोलकाता में एक साथ प्रायोगिक आधार पर रेडियो प्रसारण शुरू किया गया।
- 1935 में लियोनेल फील्डन को भारत में प्रसारण नियंत्रक नियुक्त किया गया। भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम जनवरी 1936 में बदलकर 'ऑल इंडिया रेडियो' कर दिया गया।

अवसंरचना *(Infrastructure)*

- 1957 में 'ऑल इंडिया रेडियो' को 'आकाशवाणी' के नाम से जाना जाने लगा।
- मार्च 2017 तक आकाशवाणी के देशभर में कुल 612 ट्रांसमीटर हो गए जिनमें से 143 मीडियम वेव, 48 शार्ट वेव और 421 एफएम ट्रांसमीटर हैं। 1947 के छह रेडियो केंद्रों की तुलना में मार्च 2017 में देशभर में 420 रेडियो केंद्र हो गए।

सेवाएँ (Services)

- आकाशवाणी कई वर्षों से त्रिस्तरीय प्रणाली का उपयोग राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय प्रसारण में कर रहा है।
- वह अपने स्टेशनों के ज़रिये महाद्वीपीय आयाम और बहुलवादी समाज में श्रोताओं की सूचना, शिक्षा और मनोरंजन संबंधी ज़रूरतें पूरी करता है।
- ये स्टेशन 23 भाषाओं और 176 बोलियों में समाचार, संगीत, बोले गए शब्द और अन्य कार्यक्रम पूरे देश की जनसंख्या तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जो एक बिलियन से अधिक हो चुकी है।

22 आयोजना (Planning)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- आयोजना (नियोजन) का अर्थ है- स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना।
- भारत में आयोजना के लक्ष्य और सामाजिक उद्देश्य संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित किये गए हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एक-दूसरे का पूरक माना जाता है।
- निजी क्षेत्र के अंतर्गत संगठित उद्योगों के अलावा लघु उद्योग, कृषि, व्यापार, आवास, निर्माण और संबंधित क्षेत्र आते हैं।
- भारत में आयोजना (Planning) को **समवर्ती सूची** का विषय बनाया गया है।

नीति आयोग *(NITI Aayog)*

- नीति आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था) की स्थापना जनवरी 2015 में, योजना आयोग (1950 में स्थापना) के स्थान पर की गई है।
- नीति आयोग, सरकार के थिंक-टैंक के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- यह नई संस्था सार्वजनिक क्षेत्र के सीमित दायरे से परे जाकर विकास प्रक्रिया में उत्प्रेरक का काम करती है। विकास की समग्र पहल से उसके लिये उपयुक्त वातावरण के निर्माण का कार्य करती है।

नीति आयोग का तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा (2017-18 से 2019-20)

- नीति आयोग का तीन वर्षीय एक्शन एजेंडा अल्पकालिक समयावधि में नीतिगत परिवर्तनों एवं लक्ष्यों के निर्धारण को प्रदर्शित करता है।
- इस प्रस्तावित एक्शन एजेंडे में 7 भागों के अंतर्गत 24 अध्यायों को शामिल किया गया है।

इस अवधारणा का आधार है-

- सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर राष्ट्रीय विकास में राज्यों की सशक्त और समान भागीदारी को बढ़ावा देना;
- आंतरिक और बाह्य संसाधनों के ज्ञान भंडार से सभी स्तरों पर सुशासन और उत्कृष्ट कार्यों हेतु सरकार को सहयोग देना;
- ज्ञान और नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान कर थिंक-टैंक (विचार केंद्र) के रूप में काम करना।
- विकास के संयुक्त लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली अड़चनों को दूर करना;
- केंद्र तथा राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को साथ लाकर कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु एक साझा मंच तैयार करना।

उद्देश्य (Objectives)

- नीति आयोग का उद्देश्य सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा देते हुए 'सशक्त राज्य से सशक्त राष्ट्र' का निर्माण करना है।
- यह संस्था केंद्र सरकार की नीतियों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाती है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करती है और भारत सरकार की नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति पर नज़र रखती है।
- यह संस्था केंद्र और राज्य सरकारों के सभी क्षेत्रों में नीतिगत तत्त्वों पर रणनीतिगत और तकनीकी सलाह देने का काम करती है।
- इसके उद्देश्यों में आर्थिक मोर्चे पर, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मामले, देश के अंदर से और विदेशों की सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों का प्रसार और नए नीतिगत विचारों और समस्या आधारित विशिष्ट सहयोग का प्रसार (Dissemination) भी शामिल हैं।
- वह परामर्श के रूप में या अन्य किसी व्यवस्था के ज़रिये एक या अधिक राज्यों या विश्व के अन्य भागों में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में सभी राज्यों को जानकारी उपलब्ध कराती है ताकि वे भी उन्हें अपना सकें।
- यह संस्था महत्त्वपूर्ण एवं दीर्घकालिक नीति और कार्यक्रम की संरचना और क्रियान्वयन की रूपरेखा तैयार करती है, साथ ही उनकी प्रगति तथा प्रभावी व्यापकता पर नियमित रूप से नज़र रखती है।
- निगरानी और फ़ीडबैक से सीखे सबक का उपयोग यह संस्था नवाचारी सुधार के लिये करती है। प्राय: नीतियों/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बीच में भी सुधार किये जाते हैं।
- नीति आयोग आवश्यक संसाधनों की पहचान सहित कार्यक्रमों और प्रयासों के क्रियान्वयन की सक्रियता से निगरानी और मूल्यांकन करता है ताकि कार्यक्रमों की सफलता की संभावना सुदृढ़ हो सके।

संरचना *(Composition)*

- भारत का प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है।
- संचालन (शासी) परिषद् में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधायिका वाले सभी केंद्रशासित राज्यों, यथा- दिल्ली, पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के उप-राज्यपाल शामिल होते हैं।
- विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री इनको मनोनीत करता है।

23 ग्रामीण और शहरी विकास (Rural and Urban Development)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत कल्याणकारी राष्ट्र (Welfare State) रहा है और सरकार के समस्त प्रयासों का प्राथमिक लक्ष्य देश के लोगों का कल्याण रहा है।
- देश की नीतियाँ और कार्यक्रम का निर्माण ग्रामीण कल्याण एवं उनके समग्र विकास को ध्यान में रखकर तैयार की जाती रही हैं, जो भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रमुख लक्ष्यों में से एक रहा है।
- ग्रामीण विकास के अंतर्गत लोगों की आर्थिक बेहतरी और सामाजिक परिवर्तन दोनों को ध्यान में रखा गया है।
- ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिये, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की अधिकाधिक भागीदारी, आयोजना का विकेंद्रीकरण, भूमि सुधारों का बेहतर प्रवर्तन (Enforcement) और ऋण सुलभ कराना जैसे उपाय किये जाते रहे हैं।
- वर्ष 1952 में योजना आयोग के तहत प्रारंभ किया गया 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' ग्रामीण विकास के इतिहास में मील का पत्थर था। इस कार्यक्रम में बाद में कई बदलाव किये गए और इसे विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संचालित किया गया।
- अक्टूबर 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के हिस्से के रूप में ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया।
- अगस्त 1979 में इस विभाग का दर्जा बढ़ाया गया और इसे 'ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय' का नाम दिया गया। बाद में इस मंत्रालय को 'ग्रामीण विकास मंत्रालय' का नाम दिया गया।
- एक बार फिर से कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसे एक विभाग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सितंबर 1985 में इसे एक बार फिर कृषि मंत्रालय के रूप में पुनर्गठित किया गया।
- वर्ष 1991 में विभाग का दर्जा बढ़ाकर इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया गया।
- वर्ष 1992 में इस मंत्रालय के अंतर्गत एक अन्य विभाग, बंजर भूमि विकास विभाग का सृजन किया गया।
- मार्च 1995 में इसे ग्रामीण क्षेत्र और रोज़गार मंत्रालय के रूप में नया नाम दिया गया और इसमें तीन विभागों- ग्रामीण रोज़गार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास विभाग को रखा गया।
- वर्ष 1999 में मंत्रालय के नाम में पुन: बदलाव किया गया और इसमें ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल आपूर्ति विभाग बनाए गए।
- जुलाई 2011 से पेयजल तथा स्वच्छता विभाग (2010 तक यही विभाग पेयजल आपूर्ति विभाग कहलाता था) को इससे पृथक् कर एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दो विभाग कार्यरत हैं- ग्रामीण विकास विभाग और भूमि संसाधन विभाग।

ग्रामीण विकास हेतु प्रमुख कार्यक्रम *(Major programmes for Rural Development)*

ग्रामीण रोज़गार (Rural Employment)

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (मनरेगा, 2005) ग्रामीण रोज़गार हेतु भारत सरकार का सर्वप्रमुख कार्यक्रम है।
- इस अधिनियम का लक्ष्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करना है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक परिवार को न्यूनतम 100 दिन के लिये दिहाड़ी रोज़गार (सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोज़गार) पक्के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है, बशर्ते उसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम कार्य करने के इच्छुक हों।
- मनरेगा कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभों में सामाजिक-आर्थिक समावेशन, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा और समानता पर आधारित विकास शामिल हैं।

कार्यक्रम के लक्ष्य (Objectives of Programme)

- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को मांग पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 100 दिन के लिये अकुशल श्रम कार्य के रूप में दिहाड़ी रोज़गार (सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में 150 दिनों का रोज़गार) उपलब्ध कराना;
- ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित गुणवत्ता के साथ स्थिर लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के साथ संबद्ध क्षेत्र के ढाँचागत आधार का विकास करने वाले कार्यों में दिहाड़ी रोज़गार सृजित करते हुए ग्रामीण निर्धनों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि;
- ग्रामीण निर्धनों का आजीविका संसाधन आधार सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना;
- महिलाओं का सशक्तीकरण सुनिश्चित करना;
- ग्रामीण निर्धनों का सक्रिय सामाजिक-आर्थिक समावेशन सुनिश्चित करना और उन्हें एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना;

24 वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विकास (Scientific and Technological Developments)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- देश की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता तथा सामर्थ्य बढ़ाने के प्रयास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं, ताकि भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समुदाय को वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास करने में सहायता मिल सके।
- विभाग ने जिन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर अपना ध्यान केंद्रित किया, उनमें से कुछ हैं: विज्ञान के अत्याधुनिक क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर होड़ करने योग्य अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) के लिये वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकी जानकारों की संख्या बढ़ाना; वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत की वैश्विक रैंकिंग बेहतर करने के लिये आरएंडडी संस्थानों को प्रोत्साहन देना तथा ढाँचागत सुविधाएँ तैयार करना आदि।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology)

विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति *(Science, Technology and Innovation Policy)*

- 2013 में लाई गई नई विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार पर ज़ोर दिया गया है।
- एसटीआई नीति का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर होड़ करने की क्षमता हासिल करने और विज्ञान को देश के विकास के एजेंडा से जोड़ना है।
- विज्ञान, अनुसंधान एवं नवाचार प्रणालियों का एकीकरण करने और भारत को विज्ञान के क्षेत्र में पाँच या छह शीर्ष शक्तियों में पहुँचाने की इच्छा नई एसटीआई नीति में स्पष्ट रूप से जताई गई है।

विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड *(Science and Engineering Research Board)*

- विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) की स्थापना से विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास में बहुत मदद मिली है।
- वैज्ञानिकों के सेवा काल के विभिन्न चरणों में प्रतिभा पलायन रोकने के लिये बोर्ड ने कई नए कार्यक्रम आरंभ किये हैं, जैसे- जल्द अनुसंधान प्रारंभ करने के लिये प्रयोगशाला की स्थापना करने में युवा फैकल्टी की सहायता हेतु अर्ली कॅरियर रिसर्च अवार्ड्स (ईसीआरए)।
- राष्ट्रीय-पोस्टडॉक्टोरल फेलोशिप (एन-पीडीएफ) योजना, 3000 सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थाओं, उद्योग तथा विश्वविद्यालयों में काम करने तथा मजबूत बनाने के लिये भारत में रहने का मौका देगी।
- अनुसंधान के उत्कृष्ट क्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिये 2015–16 में ओवरसीज डॉक्टोरल फेलोशिप आरंभ की गई है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले भारतीय छात्रों को विदेश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति वाली शैक्षिक संस्थाओं में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी तथा चिकित्सा के चुनिंदा क्षेत्रों में पीएचडी करने के लिये फेलोशिप प्रदान की जाती है।

महिला वैज्ञानिकों के लिये अवसर *(Opportunities for Women Scientists)*

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अपनी प्रमुख योजना 'किरण' (नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग) के अंतर्गत विज्ञान में महिलाओं के लिये विभिन्न कार्यक्रम आरंभ किये।
- इस अनूठी पहल के ज़रिये विभाग उन महिला वैज्ञानिकों को भौतिक एवं गणितीय विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी एवं वायुमंडलीय विज्ञान तथा अभियांत्रिकी प्रौद्योगिकी में अनुसंधान पूरा करने का अवसर प्रदान करता है, जिन्हें मुख्यतया पारिवारिक कारणों से अपना कॅरियर बीच में ही छोड़ना पड़ा था।

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी *(Nano Science and Technology)*

- अनुसंधान के इस उभरते क्षेत्र में रिसर्च एवं डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिये 2007 में नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर एक अम्ब्रेला प्रोग्राम आरंभ किया गया।
- इस अभियान के मुख्य उद्देश्य हैं- बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसंधान के बुनियादी ढाँचे का विकास, नैनो एप्लीकेशन एवं प्रौद्योगिकी का विकास, मानव संसाधन विकास, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन तथा राष्ट्रीय विचार-विमर्श आरंभ करना।

जलवायु परिवर्तन *(Climate Change)*

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत आरंभ किये गए राष्ट्रीय सतत् हिमालयी पारिस्थितिकी मिशन (एनएमएसएचई) तथा जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के राष्ट्रीय मिशन

25

परिवहन
(Transport)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- देश के सतत् आर्थिक विकास में परिवहन की समन्वित और सुचारू प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की वर्तमान परिवहन प्रणाली में रेल, सड़क, तटवर्ती नौ-वहन, हवाई परिवहन आदि शामिल हैं। कुछ वर्षों में इस प्रणाली की क्षमता और नेटवर्क में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। परिवहन के विभिन्न साधनों के विकास के लिये नीतियाँ व कार्यक्रम बनाने और लागू करने की ज़िम्मेदारी जहाज़रानी मंत्रालय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, रेल मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय की है।

रेलवे *(Railways)*

- भारत में रेलवे, यात्री परिवहन और माल ढुलाई का एक प्रमुख साधन है।
- यह देश के सुदूर कोने-कोने से लोगों को मिलाती है और कारोबार, पर्यटन, तीर्थयात्रा तथा शिक्षा को बढ़ावा देने का माध्यम है।
- भारतीय रेल पिछले 164 से अधिक वर्षों के दौरान एक बड़ी समावेशी ताकत बन गई है।
- पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई से थाणे के बीच चली थी। मात्र 34 किलोमीटर की दूरी तय करने से शुरू हुई इसकी यात्रा का दायरा अब 66,687 किलोमीटर तक पहुँच गया।
- इसमें 7,216 स्टेशनों का व्यापक नेटवर्क है। इसके बेड़े में 11,122 इंजन, 53,101 यात्री गाड़ियाँ, 6,899 अन्य कोचिंग वाहन और 2,51,256 डिब्बे हैं।
- कुल मार्ग के लगभग 35.32 प्रतिशत, परिचालन मार्ग के 47.09 प्रतिशत और कुल पटरी मार्ग के 48.26 प्रतिशत का विद्युतीकरण किया जा चुका है। समूचा रेलवे नेटवर्क 17 ज़ोनों में विभाजित है। इसके प्रभाग आधारभूत प्रचालन इकाइयाँ हैं। 17 ज़ोन और उनके मुख्यालय निम्न हैं:

ज़ोनल रेलवे (Zonal Railways)		मुख्यालय (Headquarters)
मध्य रेलवे	–	मुंबई
पूर्वी रेलवे	–	कोलकाता
पूर्व तटीय रेलवे	–	भुवनेश्वर
पूर्व-मध्य रेलवे	–	हाजीपुर
उत्तरी रेलवे	–	नई दिल्ली
उत्तर-मध्य रेलवे	–	इलाहाबाद
उत्तर-पूर्वी रेलवे	–	गोरखपुर
पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे	–	मालिगाँव (गुवाहाटी)
उत्तर-पश्चिमी रेलवे	–	जयपुर
दक्षिणी रेलवे	–	चेन्नई
दक्षिण-मध्य रेलवे	–	सिकंदराबाद
दक्षिण-पूर्वी रेलवे	–	कोलकाता
दक्षिण-पूर्व मध्य रेलवे	–	बिलासपुर
दक्षिण-पश्चिमी रेलवे	–	हुबली
पश्चिमी रेलवे	–	मुंबई
पश्चिमी-मध्य रेलवे	–	जबलपुर
कोलकाता मेट्रो	–	कोलकाता

- रेलवे नियोजन का मुख्य उद्देश्य परिवहन के आधारभूत ढाँचे का निर्माण करना है ताकि अनुमानित यातायात के अनुरूप क्षमता निर्माण किया जा सके।
- 1950–51 में नियोजन युग की शुरुआत से भारतीय रेलवे ने वार्षिक योजनाओं के अलावा नौ पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया है।
- परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार पर प्रमुखता से ज़ोर देने के साथ-साथ रेल पटरियों, इंजनों, यात्री डिब्बों, वैगन बोगी डिज़ाइन, सिग्नलिंग और दूरसंचार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी संबंधी बदलाव और मानकों का उन्नयन शुरू किया गया है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम *(Central Public Sector Enterprises)*

- रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में चौदह प्राधिकरण आते हैं। ये हैं: (1) राइट्स लिमिटेड, (2) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, (3) भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड, (4) कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (5) कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड, (6) मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड, (7) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, (8) रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (9) रेल विकास निगम लिमिटेड, (10) डेडीकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (11) भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, (12) बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड (13) ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, और (14) कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड।

26

जल संसाधन
(Water Resources)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय देश के जल संसाधनों के विकास और नियमन के लिये नीतियाँ और कार्यक्रम बनाता है।
- इसके कार्यों में क्षेत्रगत आयोजना, समन्वय, नीति दिशानिर्देश, परियोजनाओं का तकनीकी परीक्षण और तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन, विशेष परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान करना, बाहरी सहायता मुहैया कराने में मदद करना और अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान में सहायता करना, बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में नीति निर्माण, आयोजना और मार्गदर्शन, भूमिगत जल प्रबंधन, कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, बांध सुरक्षा और नदी विकास तथा गंगा (इसकी सहायक नदियों के संरक्षण सहित) संरक्षण, अंतर्राज्यीय नदियों का नियमन और विकास, अधिकरणों के फैसलों को लागू करना, जल गुणवत्ता मूल्यांकन, द्विपक्षीय/बाहरी सहायता और भारत और पड़ोसी देशों की साझा नदियों से संबंधित मामले शामिल हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन *(National Water Mission)*

- जलवायु परिवर्तन और संबंधित मुद्दों के समाधान को देखते हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्ययोजना (एनएपीसीसी) के अंतर्गत जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव की चुनौतियों से निपटने के लिये आठ राष्ट्रीय मिशनों के ज़रिये सिद्धांत तय किये गए और अपनाई जाने वाली कार्यनीति की पहचान की गई। राष्ट्रीय जल मिशन एनएपीसीसी के अंतर्गत तय किये गए मिशनों में से एक है।
- राष्ट्रीय जल मिशन का प्रमुख लक्ष्य जल का संरक्षण, उसकी बर्बादी में कमी लाना और समेकित जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन के ज़रिये राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर जल का अधिक समानता पर आधारित वितरण सुनिश्चित करना है।
- मिशन के पाँच निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं: (1) सार्वजनिक क्षेत्र में पानी के बारे में व्यापक डेटाबेस तैयार करना और जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का मूल्यांकन करना, (2) जल संरक्षण, संवर्द्धन और परिरक्षण के लिये नागरिक एवं सरकारी कार्रवाई को बढ़ावा देना, (3) अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों सहित सुभेद्य क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करना, (4) पानी के किफायती उपयोग में 20 प्रतिशत की वृद्धि करना और (5) नदी बेसिन (Basin) स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का संवर्द्धन।
- राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत संचालित प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:
 - **व्यापक जल डेटाबेस:** इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस (वाटर रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम) एक पोर्टल है, जो जल संसाधनों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इसे केंद्रीय जल आयोग ने विकसित किया है। सतह और भूमिगत जल संबंधी सभी आँकड़े इस पोर्टल पर उपलब्ध हैं। सतह जल संसाधनों और भूमिगत जल संसाधनों के बारे में जीआईएस डेटा इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस की साइट पर प्रदर्शित किये गए हैं।
 - **एनडब्ल्यूएम वेब पोर्टल:** यह राष्ट्रीय जल मिशन का एक स्वतंत्र वेब पोर्टल भी है। इस पोर्टल का लक्ष्य जल संसाधनों, संगठनों और जल संसाधनों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उनकी गतिविधियों के बारे में समस्त जानकारी एक ही बिंदु पर उपलब्ध कराना है।
 - **जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव का मूल्यांकन:** एनडब्ल्यूएम में 8 नदी बेसिन (महानदी, माही, लूनी, तापी, सतलुज, साबरमती, स्वर्णरेखा और टाड्री (Tadri) से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ) की पहचान की गई है ताकि मंत्रालय के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आईआईटीज़ एनआईटीज़, आईआईएससी और एनआईएच जैसे अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों का अध्ययन किया जा सके।
 - **मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण/जागरूकता बढ़ाना:** एनडब्ल्यूएम ने मानव संसाधान विकास/प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/जनजागरूकता कार्यक्रमों के लिये दिशानिर्देश तैयार किये हैं। विभिन्न कार्यनीतियों पर अमल करने के लिये 25 प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण/जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गए।
 - **जल संसाधनों के लिये राज्य विषयक कार्य योजनाएँ तैयार करना:** जल संसाधनों के लिये राज्य विषयक कार्य योजना (एसएसएपी) तैयार करने हेतु राष्ट्रीय जल मिशन ने कार्रवाई शुरू की है। इन कार्य योजनाओं में सिंचाई, कृषि, घरेलू जलापूर्ति, औद्योगिक जलापूर्ति और सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के संदर्भ में गंदे पानी का इस्तेमाल जैसे विषय शामिल किये गए हैं।

राष्ट्रीय जल नीति *(National Water Policy)*

- देश में जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और बेहतर प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय जल नीति, 2012 अपनाई गई। राष्ट्रीय जल नीति में की गई महत्त्वपूर्ण अनुशंसाओं में राष्ट्रीय जल फ्रेमवर्क कानून;

अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के इष्टतम विकास के लिये व्यापक कानून; विभिन्न प्रयोजनों के लिये पानी के उपयोग के बारे में बैंचमार्क की प्रणाली विकसित करना ताकि जल का किफायती इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके; प्रत्येक राज्य में जल नियामक प्राधिकरण की स्थापना; और पानी के पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करना आदि शामिल है।

- नीति के अंतर्गत जल संसाधन परियोजनाओं और सेवाओं के प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी; प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता के अनुरूप फसल चक्र निर्धारण के ज़रिये सिंचाई में पानी की बचत को प्रोत्साहित करना, सूक्ष्म सिंचाई, स्वचालित सिंचाई संचालन, वाष्पीकरण-वाष्पोत्सर्जन में कमी लाना; सामुदायिक भागीदारी के ज़रिये नदियों, नदी मार्गों, जल निकायों और नदी ढाँचे का वैज्ञानिक ढंग से योजनाबद्ध संरक्षण; और अत्यधिक दोहित क्षेत्रों में भूमिगत जल के गिरते स्तर को रोकना आदि बातें शामिल की गई हैं।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद्
(National Water Resources Council)

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (एनडब्ल्यूआरसी) की स्थापना मार्च 1983 में की गई थी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं और केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री परिषद् के उपाध्यक्ष हैं।

राष्ट्रीय जल बोर्ड *(National Water Board)*

राष्ट्रीय जल बोर्ड की स्थापना 1990 में की गई थी। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय जल नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और तत्संबंधी प्रगति की जानकारी समय-समय पर राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् को प्रदान करना है।

राष्ट्रीय जल संसाधन फोरम
(National Forum of Water Resources)

- जल संसाधन मंत्रालय (वर्तमान में, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय) ने 2012 में राज्यों के जल संसाधन और सिंचाई मंत्रियों को शामिल करते हुये एक राष्ट्रीय फोरम का गठन किया था। इसके विचारणीय विषय इस प्रकार हैं:-
 - जल संसाधन क्षेत्र में समय-समय पर अपेक्षित विभिन्न सुधारों पर विचार-विमर्श करना और राष्ट्रीय स्तर पर सहमति विकसित करने का प्रयास करना;
 - विचारों के आदान-प्रदान के लिये एक मंच उपलब्ध कराना और केंद्र और/अथवा राज्य सरकारों द्वारा बेहतर जल प्रबंधन के लिये प्रस्तावित नए एवं मौलिक विचारों के प्रति समर्थन जुटाना।
- यह फोरम 12 सदस्यों की एक स्थायी व्यवस्था है, जिसमें यह प्रावधान है कि इसके आधे सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे और देश के समान क्षेत्रों से राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री उनका स्थान लेंगे। इस प्रकार किसी भी सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा, परंतु प्रारंभिक गठन के समय के छह सदस्यों को केवल 2 वर्ष काम करने का अवसर मिलेगा।

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
(National Mission for Clean Ganga)

- 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के सभी प्रयासों को एकीकृत किया गया है।
- अगले 5 वर्षों के लिये इस कार्यक्रम के लिये ₹20 हजार करोड़ का बजट परिव्यय आवंटित किया गया है। तीव्र प्रगति के लिये केंद्र ने विभिन्न गतिविधियों/परियोजनाओं और योजनाओं के शत प्रतिशत वित्तपोषण का निर्णय किया है ताकि न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिये परिसंपत्तियों के प्रचालन और रखरखाव की व्यवस्था की जा सके।
- प्रदूषण के प्रमुख स्थलों पर नियंत्रण करने के लिये पीपीपी/एसपीवी नीति यानी सरकारी-निजी-भागीदारी/विशेष प्रयोजन वाहन (एचपीवी) नीति प्रस्तावित की गई है। प्रदूषण नियमों के सुदृढ़ अनुपालन के प्रयास में केंद्र ने प्रादेशिक सेना की एक यूनिट के रूप में गंगा कार्य बल की स्थापना की भी योजना बनाई है।

जल क्रांति अभियान *(Jal Kranti Abhiyan)*

- देश में जल संरक्षण और प्रबंधन के समेकन के लिये जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय ने वर्ष 2015–16 के दौरान 'जल एक समग्र दृष्टिकोण' अपनाते हुए जल क्रांति अभियान संचालित किया।
- सभी हितभागियों को शामिल करते हुए इस अभियान को जनांदोलन का रूप दिया गया। जल क्रांति अभियान के लक्ष्य नीचे दिये गए हैं:
 - जल सुरक्षा और विकास योजनाओं में पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय निकायों सहित सभी हितभागियों की निचले स्तर पर भागीदारी सुदृढ़ करना (जैसे भागीदारी पूर्ण सिंचाई प्रबंधन (पीआईएम)।
 - जल संसाधन संरक्षण और इसके प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान अपनाने/इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के ज़रिये आजीविका सुरक्षा बढ़ाना।

जल संसाधन क्षमता *(Water Resources Potential)*

देश में औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1869 अरब घनमीटर आँकी गई है। इसमें से 1123 अरब घनमीटर जल संसाधन इस्तेमाल योग्य समझे गए हैं, जिनमें से 690 अरब घनमीटर संसाधन सतह जल और 433 अरब घनमीटर पुनर्भरण योग्य भूमिगत जल संसाधन हैं।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम
(Accelerated Irrigation Benefit Programme)

- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) 1996–97 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत देश में बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उद्देश्य ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना है, जो राज्यों की संसाधन क्षमता से परे हैं या जो निर्माण के अग्रिम चरण में हैं।

- इस कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से इसके तहत वित्तपोषण के लिये 297 सिंचाई/बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें से 143 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 5 परियोजनाएँ बंद कर दी गई थीं। पूरी की गई परियोजनाओं के माध्यम से 24.39 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता अर्जित की गई।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना *(Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana)*

- 2015–16 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की गई। इसके लक्ष्यों में खेतों में पानी की पहुँच बढ़ाना, सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना, कृषि जल के किफायती इस्तेमाल को बढ़ावा देना, टिकाऊ जल संरक्षण पद्धतियाँ शुरू करना आदि शामिल हैं।
- इस कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं:- (क) खेत के स्तर पर सिंचाई में निवेश के स्तर पर समानता लाना (ज़िला स्तर और यदि आवश्यक हो तो उप-ज़िला स्तर पर जल के इस्तेमाल की योजनाएँ तैयार करना), (ख) खेतों में पानी की पहुँच बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य भूमि का विस्तार करना (हर खेत को पानी), (ग) सटीक सिंचाई पद्धति और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना (प्रति बूंद, अधिक फसल), (घ) जलीय परतों के पुनर्भरण को बढ़ावा देना और स्थायी जल संरक्षण पद्धतियाँ अपनाना, (ङ) किसानों और निचले स्तर के फील्ड कार्यकर्त्ताओं के लिये जल संरक्षण, जल प्रबंधन और फसल चक्र निर्धारण से संबंधित विस्तार गतिविधियों को बढ़ावा देना और (च) सटीक सिंचाई में निजी निवेश को आकर्षित करना।

कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन *(Command Area Development and Water Management)*

- किसानों के खेतों में सिंचाई जल की समुचित वितरण प्रणाली के विकास के लिये 1974–75 में केंद्र-प्रायोजित कमांड क्षेत्र विकास (सीएडी) कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- इसका लक्ष्य जल उपयोग सक्षमता और प्रति इकाई भूमि और जल पर फसल का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना है ताकि किसानों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके।
- इस कार्यक्रम में सिंचित कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों के समन्वित ढंग से एकीकरण की व्यवस्था है। यह एकीकरण कमान एरिया विकास प्राधिकरण के अंतर्गत बहु-विषयी टीम के साथ किया जाता है।
- प्रारंभ में सीएडी कार्यक्रम के अंतर्गत 60 प्रमुख और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को लिया गया, जिनके अंतर्गत करीब 1.5 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य कमान क्षेत्र (सीसीए) को कवर किया गया।
- यह कार्यक्रम 2015–16 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)- 'हर खेत को पानी' के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है।

कार्यक्रम कार्यान्वयन (Programme Implementation)

- मंत्रालय का कमान एरिया विकास और जल प्रबंधन स्कंध राष्ट्रीय स्तर पर कमान एरिया विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में समन्वय और निगरानी का काम करता है।
- विभिन्न तकनीकी और प्रबंधकीय पहलुओं के बारे में विभिन्न बैठकें, कार्यशालाएँ और सेमिनार भी आयोजित किये जाते हैं। इस कार्यक्रम को मनरेगा के साथ समायोजित करने की संभावनाएँ भी तलाशी जा रही हैं, ताकि प्रणालीगत खामियाँ दूर की जा सकें, जलप्लावित क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जा सके और भूमिगत कार्यों के मामले में प्रत्येक कार्य के संदर्भ में फील्ड, मध्यवर्ती और संपर्क नालों का निर्माण किया जा सके।

वित्तपोषण पद्धति *(Financing Pattern)*

- सभी कार्यक्रम घटकों के लिये केंद्र और राज्य सरकारें 50:50 के अनुपात में धनराशि प्रदान करेंगी।
- राज्य प्रायोजित सॉफ्टवेयर घटकों जैसे किसानों एवं फील्ड कार्यकर्त्ताओं और अधिकारियों का प्रशिक्षण, अनुकूलन ट्रायल और प्रदर्शन, सेमिनार/सम्मेलनों/कार्यशालाओं, कार्यक्रम पर निगरानी एवं मूल्यांकन और बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिये डब्ल्यूएएलएमआई/आईएमटीआई को एकबार वित्तीय सहायता और डब्ल्यूयूए को ढाँचागत अनुमान के मामले में वित्तपोषण का अनुपात केंद्र और राज्य सरकारों के बीच 75:25 के आधार पर होगा।

जल भराव क्षेत्रों की पुनः बहाली (Reclamation of Water Logged Areas)

- यद्यपि सिंचाई के विकास से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु जलभराव के रूप में और अनेक सिंचाई कमानों में मृदा लवणता-क्षारीयता क्षेत्रों की संबद्ध समस्या के रूप में प्रतिकूल प्रभाव भी सामने आये हैं।
- उत्कृष्ट प्रयासों के बावजूद, अनेक सिंचाई कमान क्षेत्रों में जल भराव की समस्या सामने आई है। अतः यह जरूरी है कि ऐसे क्षेत्रों को बहाल किया जाये, ताकि उनसे अधिकतम कृषि पैदावार प्राप्त की जा सके।
- मंत्रालय ने केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1996 से जल प्लावित क्षेत्र की बहाली का एक घटक कार्यक्रम शुरू किया है। पीएमकेएसवाई (हर खेत को पानी) कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि कार्यों के मामले में समाभिरूपता की संभावना भी तलाशी जा रही है।
- अभी तक 9 राज्यों, अर्थात् बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 823 कार्यक्रमों का अनुमोदन किया गया है, जिनके अंतर्गत 122.53 हज़ार हेक्टेयर जल प्लावित क्षेत्र को बहाल किया जाना है।

सूचना, शिक्षा और संचार (Information, Education and Communication)

एचआरडी/सीबी कार्यक्रम के सूचना शिक्षा और संचार घटक का उद्देश्य मंत्रालय और उसके संगठनों की जन-जागरूकता गतिविधियाँ

संचालित करना है, ताकि विभिन्न लक्षित समूहों के बीच जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन के महत्त्व के बारे में समग्र रूप में जागरूकता पैदा की जा सके और जल संबंधी विभिन्न मुद्दों का समाधान समन्वित प्रयासों से करने पर उचित बल दिया जा सके।

भू-जल मंथन (Bhu-Jal Manthan)

- जल क्रांति अभियान के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने केंद्रीय भूमिगत जल बोर्ड के माध्यम से 2015 में हरियाणा में एक दिवसीय 'भू-जल मंथन' कार्यक्रम का आयोजन किया।
- इस कार्यक्रम में देशभर से जन प्रतिनिधियों, भू-जल विशेषज्ञों, केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, किसानों, विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संगठनों आदि ने हिस्सा लिया।

प्रिंट मीडिया के ज़रिये प्रचार (Publicity Through Print Media)

- जलवायु परिवर्तन के बारे में आधे पृष्ठ का रंगीन विज्ञापन 18 अक्तूबर, 2015 को हिंदी, अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित किया गया।
- इसका उद्देश्य जल संसाधनों और उनमें योगदान करने वाले घटकों पर जलवायु परिवर्तन के प्रत्यक्ष/परोक्ष दुष्प्रभावों को उजागर करना और सक्षम/बेहतर जल प्रबंधन पद्धतियाँ अपनाते हुये जल संरक्षण के बारे में उत्कृष्ट पद्धतियों की अनुशंसा करना है, ताकि 2015 में पेरिस में हुये 21वें सम्मेलन के सिलसिले में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटा जा सके।

जल संरक्षण के बारे में चित्रकला प्रतियोगिता (Painting Competition on Water Conservation)

- जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये देशभर में 2010 से तीन स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है।
- यह प्रतियोगिता छठी, सातवीं और आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिये 3 स्तरों अर्थात् स्कूल, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है।
- 'नदी प्रदूषण', 'स्वच्छ नदी' और 'पानी' पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव' जैसे विषयों पर चित्रकला प्रतियोगिता देश के सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में आयोजित की गई।

बाढ़ प्रबंधन (Flood Management)

- बाढ़ से तबाही भारत से हर वर्ष होने वाली घटना है। लगभग हर वर्ष देश के कुछ हिस्से बाढ़ से प्रभावित होते हैं।
- बाढ़ से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचता है और लोगों में मनोवैज्ञानिक और भावात्मक अस्थिरता के साथ बुनियादी ढाँचे को क्षति पहुँचती है।
- बाढ़ का समुचित प्रबंधन राष्ट्रीय विकास गतिविधियों में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। देश में मानव जीवन, ज़मीन और संपत्ति को बाढ़ से बचाने के लिये राज्य सरकारें पिछले पाँच दशकों से बाढ़ प्रबंधन कार्यों में लगी हुई हैं।

केंद्रीय भू-जल बोर्ड (Central Ground Water Board)

- मंत्रालय के तहत केंद्रीय भू-जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) एक बहु-विषयी वैज्ञानिक संगठन है, जिसे 'प्रौद्योगिकियों के विकास और सम्प्रेषण, देश के भूमिगत जल संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी विकास एवं प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय नीतियों पर निगरानी रखने और कार्यान्वित करने जैसे दायित्व सौंपे गए हैं।
- इनमें भू-जल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, संरक्षण, संवर्द्धन, प्रदूषण से उनकी सुरक्षा, आर्थिक और पारिस्थितिकी सक्षमता एवं समानता के सिद्धांतों पर आधारित वितरण भी शामिल है। बोर्ड की प्रमुख गतिविधियों में भूमिगत जल स्तरों का प्रबंधन, अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग, भू-जल पर्यवेक्षण कुओं के नेटवर्क के ज़रिये भूमिगत जल स्तरों और जल गुणवत्ता की जाँच, कृत्रिम पुनर्भरण के लिये प्रदर्शनात्मक कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और पुनर्भरण संवर्द्धन के लिये वर्षा जल संग्रह, देश के भू-जल संसाधनों का समय-समय पर मूल्यांकन, आदि कार्य शामिल हैं।
- बोर्ड भूमिगत जल के विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेष अध्ययन भी करता है, जैसे- भूमिगत जल का ह्रास, समुद्र जल प्रवेश, भू-जल विषाक्तता, सतही और भूमिगत जल के सामंजस्यपूर्ण इस्तेमाल, जल संतुलन आदि।

जलभृत (एक्वाफर) मापन और प्रबंधन योजना (Aquifer Mapping and Management Plan)

- जलभृत भू-जल की ऐसी प्राकृतिक चट्टानी परतें हैं, जो पानी को किफायती ढंग से भंडारित और संरक्षित करती हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सीजीडब्ल्यूबी ने राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना (एनएक्यूयूआईएम) प्रारंभ की।
- इसका उद्देश्य जलभृतों की पहचान, उनका सीमांकन, वर्गीकरण और कारगर प्रबंधन करना है ताकि भूमिगत जल संसाधनों की स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। यह परियोजना 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधियों में जारी रखने का प्रस्ताव किया गया ताकि देश के 23.25 लाख वर्ग किमी. मापन योग्य क्षेत्रों को कवर किया जा सके।
- इस परियोजना के प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं- (i) प्राथमिकता क्षेत्रों (मूल्यांकन यूनिटों की अतिदोहित, चिंताजनक और अर्द्ध चिंताजनक श्रेणियाँ और जलगुणवत्ता एवं अन्य समस्याग्रस्त/कमज़ोर क्षेत्र) में 1:50,000 स्केल पर थ्री डी जलभृतों का सीमांकन करना, (ii) भू-जल की गुणवत्ता सहित जलभृतों का विस्तृत वर्गीकरण और (iii) जलभृत प्रबंधन योजनाएँ तैयार करना। इस परियोजना में स्थानीय स्तर पर भू-जल प्रबंधन के लिये निचले स्तर पर हितभागियों को शामिल करते हुए एक भागीदारीपूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है।
- सीजीडब्ल्यूबी ने भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संग्रह के बारे में प्रदर्शन परियोजनाएँ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में चलाईं।

केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (Central Ground Water Authority)

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-3 की उप-धारा (3) के अंतर्गत 1997 में केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के रूप में केंद्रीय भू-जल बोर्ड का गठन किया गया था।
- केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण ने देश में उद्योगों/परियोजनाओं द्वारा भू-जल निकासी की अनुमति के लिये भी संशोधित दिशा-निर्देश तैयार किये हैं। केंद्रीय भू-जल प्राधिकरण को देश में भू-जल विकास और प्रबंधन के नियमन एवं नियंत्रण तथा इस प्रयोजन के लिये आवश्यक निर्देश जारी करने का काम सौंपा गया है। देश में अधिसूचित क्षेत्रों की संख्या 162 है।

भू-जल विकास (Ground Water Development)

- देश के विभिन्न भागों में भू-जल क्षमता में व्यापक अंतराल है। देश के इंडो-गंगेय जलोढ़क जैसे क्षेत्रों में भू-जल की व्यापक क्षमता है, जबकि कई सख्त चट्टानी क्षेत्रों में भू-जल संसाधन सीमित हैं। इसी प्रकार देश के विभिन्न क्षेत्रों में भू-जल का विकास भी एक समान नहीं हुआ है।
- भू-जल के गहन विकास के कारण कुछ क्षेत्रों का अति दोहन हुआ है, जिससे वहाँ भू-जल स्तर अत्यधिक नीचे चला गया है, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में भू-जल का विकास अधिक अनुकूलतम नहीं हुआ है और वहाँ भविष्य में जल निष्कर्षण की संभावनाएँ हैं।
- सीजीडब्ल्यूबी राज्यों के भू-जल विभागों के साथ मिलकर समय-समय पर भू-जल संसाधनों का मूल्यांकन करता है। आधार वर्ष 2011 में किये गए अद्यतन मूल्यांकन के अनुसार, देश में कुल वार्षिक पुनर्भरण योग्य भू-जल संसाधन 433 अरब घनमीटर (बीसीएम) है।
- 35 बीसीएम प्राकृतिक पुनर्भरण के लिये छोड़कर निवल वार्षिक भू-जल उपलब्धता 398 बीसीएम आँकी गई है। समूचे देश के लिये 2011 में वार्षिक भू-जल ड्राफ्ट प्रतिवर्ष 245 बीसीएम आँका गया है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute)

- राजीव गांधी राष्ट्रीय भू-जल प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई) रायपुर, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो केंद्रीय भू-जल बोर्ड और अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों आदि की प्रशिक्षण संबंधी ज़रूरतें पूरी करता है।
- आरजीएनजीडब्ल्यूटीआरआई को भू-जल के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी सौंपा गया है।

केंद्रीय जल आयोग (Central Water Commission)

- केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) 3 स्कंधों (Wing) में विभाजित है। ये हैं- डिज़ाइन और अनुसंधान स्कंध (डी एंड आर), जल आयोजना और परियोजना स्कंध (डब्ल्यूपी एंड पी) और नदी प्रबंधन स्कंध (आरएम)। अनुषंगी कार्य संबद्ध स्कंधों में समूहबद्ध किये गए हैं।
- सीडब्ल्यूसी के मानव संसाधन प्रबंधन और विकास, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण और प्रशासनिक मामलों के लिये एक पृथक् मानव संसाधन प्रबंधन इकाई है। जल संसाधन क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन का लक्ष्य हासिल करने और राज्य सरकारों के विभागों के साथ बेहतर तालमेल कायम करने के लिये, सीडब्ल्यूसी ने 13 क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।
- ये कार्यालय बंगलूरू, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयंबटूर, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ, नागपुर, पटना, शिलॉन्ग, सिलीगुड़ी और गांधीनगर में स्थित हैं।
- राष्ट्रीय जल अकादमी सीडब्ल्यूसी का प्रशिक्षण संस्थान है, जो पुणे में स्थित है।

हाइड्रोलॉजिकल पर्यवेक्षण (Hydrological Observations)

केंद्रीय जल आयोग 954 हाइड्रोलॉजिकल पर्यवेक्षण केंद्रों के नेटवर्क का संचालन कर रहा है, जो देशभर में सभी प्रमुख नदी बेसिन के (i) जल स्तर (गेज), (ii) बहाव (डिस्चार्ज), (iii) जल गुणवत्ता, (iv) गाद (सिल्ट) और (v) महत्त्वपूर्ण स्थानों पर हिमपात पर्यवेक्षण सहित चुने हुए मौसम विज्ञान से संबंधित आँकड़े एकत्र करता है।

जल गुणवत्ता जाँच (Water Quality Monitoring)

- केंद्रीय जल आयोग देश के सभी प्रमुख नदी बेसिन को कवर करते हुए 396 महत्त्वपूर्ण स्थानों पर जल की गुणवत्ता की जाँच करता है। यह जल के भौतिक-रासायनिक मानदंडों के विश्लेषण के लिये तीन स्तरीय प्रयोगशाला प्रणाली संचालित कर रहा है।
- प्रथम स्तर की प्रयोगशालाएँ भारत की प्रमुख नदियों पर 370 क्षेत्रीय जल गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में स्थित हैं, जहाँ भौतिक मानदंडों, जैसे- तापमान, रंग, गंध विषयक प्रवाहकत्व, विद्युत चालकता, संपूर्ण विघटित ठोस तत्त्व, नदी जल का पीएच और नदी जल में घुली ऑक्सीजन की निगरानी की जाती है।
- देशभर के चुने हुए डिवीज़न कार्यालयों में द्वितीय स्तरीय 18 प्रयोगशालाएँ स्थित हैं, जो जल के 25 भौतिक-रासायनिक गुणों और जैवाण्विक मानदंडों का विश्लेषण करती है।
- तृतीय स्तर/द्वितीय स्तर की 5 प्रयोगशालाएँ वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोयंबटूर और गुवाहाटी में कार्यरत हैं, जिनमें भारी धातुओं/विषाक्तता, कीटनाशकों सहित 41 मानदंडों का विश्लेषण किया जाता है।

बाढ़ पूर्वानुमान (Flood Forecasting)

- देश में 187 बाढ़ पूर्वानुमान केंद्र हैं, जिनमें से 150 केंद्र प्रमुख बांधों/बैराजों पर स्तर पूर्वानुमान और 37 प्रवाह पूर्वानुमान से संबद्ध हैं।
- ये केंद्र देश में 72 नदी उप-बेसिन सहित 11 प्रमुख नदी प्रणालियों को कवर करते हैं।
- ये केंद्र 20 राज्यों से संबद्ध हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर,

कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल और दो केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल हैं।

परियोजना मूल्यांकन *(Project Appraisal)*

- राज्य विद्युत निगमों/विद्युत बोर्डों/निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा प्रस्तावित जलविद्युत परियोजनाओं को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा तकनीकी-आर्थिक मंजूरी दिया जाना भी सीडब्ल्यूसी पर निर्भर करता है।
- राज्य सरकारों द्वारा यदा-कदा सौंपे गए, जलापूर्ति कार्यक्रमों के तकनीकी पहलुओं और बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम (गंगा तथा ब्रह्मपुत्र बेसिन (Basin) संबंधी परियोजनाओं को छोड़ कर) की लागत संबंधी पहलुओं का मूल्यांकन भी सीडब्ल्यूसी द्वारा किया जाता है।

परियोजना निगरानी *(Project Monitering)*

- केंद्र, राज्य और परियोजना स्तर पर त्रिस्तरीय परियोजना निगरानी की व्यवस्था 1975 में शुरू की गई थी। केंद्रीय स्तर पर यह कार्य सीडब्ल्यूसी को सौंपा गया था।
- निगरानी का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परियोजना अपने भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तथा सिंचाई क्षमता सृजन के लक्ष्य हासिल करें।
- निगरानी प्रणाली से यह अपेक्षा भी की जाती है कि वह अपेक्षित सामग्री की पहचान करेगी, किसी तरह की कमी/अड़चनों के कारणों का विश्लेषण करेगी और उपचारात्मक उपाय आदि सुझाएगी ताकि परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

हिमालयी क्षेत्र में हिमनदीय झीलों पर निगरानी *(Monitoring of Glacial lakes in the Himalayan Regions)*

- सीडब्ल्यूसी 2011 से वर्षा ऋतु के दौरान मासिक आधार पर भारतीय नदी बेसिन के हिमालयी क्षेत्र में हिमदनीय झीलों/जल निकायों की निगरानी कर रहा है।
- अक्तूबर 2015 की निगरानी रिपोर्ट के अनुसार 437 हिमनदीय झीलों/जल निकायों के बारे में मेघ मुक्त आँकड़े उपलब्ध थे।

डिज़ाइन परामर्श *(Design Consultancy)*

- केंद्रीय जल आयोग भारत में अधिसंख्य बड़ी जल संसाधन परियोजनाओं की डिज़ाइन तैयार करने के साथ सक्रिय रूप से संबद्ध रहा है। आयोग पड़ोसी देशों, जैसे- नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्याँमार, श्रीलंका और अफ्रीकी देशों के लिये भी डिज़ाइन परामर्श प्रदान करता रहा है।
- विभिन्न क्षेत्रों की विशेष ज़रूरतें पूरी करने और डिज़ाइन संबंधी विशेष समस्याओं का समाधान करने के लिये 4 डिज़ाइन यूनिटें काम कर रही हैं।

बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना *(Dam Rehabilitation and Improvement Project)*

- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) विश्व बैंक की मदद से संचालित परियोजना है।
- इसमें करीब 225 बांधों के पुनर्वास के प्रावधान के साथ 7 प्रतिभागी राज्य (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) शामिल हैं।
- इसमें प्रतिभागी राज्यों और केंद्रीय जल आयोग का संस्थागत सुदृढ़ीकरण घटक भी शामिल है। यह परियोजना 2012 से 6 वर्ष की अवधि के लिये कार्यान्वित की जा रही है।
- बांध सुरक्षा संगठन, सीडब्ल्यूसी को 2015 में इसकी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिये भारतीय मानक ब्यूरो से आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है।
- बड़े बांधों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये केंद्रीय जल आयोग को भी डीआरआईपी के अंतर्गत 'सीपीआईबी पुरस्कार 2016' से सम्मानित किया जा चुका है।

जल संसाधन सूचना प्रणाली *(Water Resource Information System)*

- केंद्रीय जल आयोग और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 2010 में संयुक्त रूप से जल संसाधन सूचना प्रणाली (इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस) विकसित की।
- बाद में इंडिया-डब्ल्यूआरआईएस की वेबसाइट के चार संस्करण भी शुरू किये गए। इसका 4.1 संस्करण जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया, जो 1:250000 स्केल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
- सूचना प्रणाली में जल संसाधन परियोजनाओं के बारे में कई जीआईएस लेयर शामिल हैं, जैसे- प्रमुख जल निकाय, भूमि उपयोग/भूमि आच्छादन, बंजर भूमि, भूमि ह्रास आदि विषयपरक लेयर, पर्यावरण लेयर और ढाँचागत एवं अन्य प्रशासनिक लेयर।
- सूचना प्रणाली में सभी बुनियादी मानचित्र उपलब्ध हैं, जो प्रदर्शन और ज़ूम, ओवर व्यू, बुक मार्क, विषय-सूची आदि नेवीगेशन क्षमताओं से संपन्न हैं।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण *(Training and Capacity Building)*

- केंद्रीय जल आयोग हर वर्ष जल क्षेत्र के व्यावसायियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए), सीडब्ल्यूसी मुख्यालय और आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित किये जाते हैं।
- सीडब्ल्यूसी को राष्ट्रीय जल अकादमी जल संसाधन विकास और प्रबंधन के सभी पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये एक उत्कृष्ट केंद्र है।

- राष्ट्रीय जल अकादमी के पाठ्यक्रम स्वयंसेवी संगठनों, मीडिया, निजी क्षेत्र के संगठनों, शैक्षिक संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, व्यक्तियों और विदेशी नागरिकों सहित जल क्षेत्र के सभी हितभागियों के लिये खुले हैं।

राष्ट्रीय जल अकादमी, पुणे *(National Water Academy, pune)*

- राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) एक ऐसी संस्था है, जिसकी स्थापना केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत 1988 में खड़कवासला, पुणे में की गई थी।
- एनडब्ल्यूए का लक्ष्य सभी हितभागियों को जल संसाधन आयोजन, विकास और प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण देने और उनमें क्षमता निर्माण करने के लिये एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में काम करना है।
- इसके अलावा यह जल संसाधन क्षेत्र में नई उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सतत् आधार पर प्रशिक्षण देने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत क्षमता विकसित करने में भी मदद कर रही है।
- पिछले वर्षों में एनडब्ल्यूए के पोर्टफोलियो में कई नए क्षेत्र जोड़े गए, जैसे- ई-एसडब्ल्यूआईएस (सरफेस वाटर इंफॉर्मेशन सिस्टम); ई-वाटर; संभावित अधिकतम भागीदारी की तैयारी (पीएमपी) एटलस; भुवन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुये सिंचाई परियोजनाओं की निगरानी; जलविद्युत परियोजनाओं में क्षमता संवर्द्धन आदि।

केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र *(Central Soil and Materials Research Station)*

- केंद्रीय मृदा और सामग्री अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस), नई दिल्ली, देश का एक प्रमुख संस्थान है, जो भू-तकनीकी इंजीनियरी और सिविल इंजीनियरी सामग्री, विशेषकर नदीघाटी परियोजनाओं के निर्माण और मौजूदा बांधों के सुरक्षा मूल्यांकन के क्षेत्र में क्षेत्र अन्वेषण, प्रयोगशाला जाँच और अनुसंधान में सक्रिय है।
- अनुसंधान केंद्र मुख्य रूप से भारत सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रतिष्ठानों के सलाहकार और परामर्शदाता के रूप में काम करता है। अनुसंधान केंद्र में उत्कृष्ट सुविधाएँ और उच्च प्रशिक्षित अधिकारी हैं और इसने देश में भू-तकनीकी इंजीनियरी और निर्माण सामग्री विशिष्टता के क्षेत्र में कुछ बेजोड़ क्षमताएँ हासिल कर ली हैं।
- यह मौजूदा जलीय संरचनाओं के सुरक्षा मूल्यांकन में शामिल रहा है। इसने पड़ोसी भूटान सहित विभिन्न नदीघाटी परियोजनाओं के मूल्यांकन में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है।

केंद्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केंद्र *(Central Water and Power Research Station)*

- सीडब्ल्यूपीआरएस 1916 से बांध निर्माण, नदी इंजीनियरी परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और ऊर्जा अपव्यय, तटीय पोत और बंदरगाह, परमाणु विद्युत संयंत्रों और ढाँचागत संस्थापनाओं के बारे में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान के ज़रिये सेवाएँ प्रदान कर रहा है।
- सीडब्ल्यूपीआरएस को 1971 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिये आर्थिक और सामाजिक समिति हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला के रूप में मान्यता मिली। सीडब्ल्यूपीआरएस अपनी स्थापना के बाद से ही अधिक क्षमता और प्रभावोत्पादकता हासिल करने के लिये एकीकृत आधार, अनुप्रयुक्त और परिणामोन्मुखी अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों में सुधारों हेतु एक प्रेरक के रूप में अपने को स्थापित करने के लिये उदारतापूर्वक काम कर रहा है।
- सीडब्ल्यूपीआरएस अपने ग्राहकों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। इसके लिये वह उनके वातावरण और चुनौतियों का अध्ययन करता है ताकि वह एक गंभीर संदर्श के साथ ठोस समाधान पेश कर सके।
- सीडब्ल्यूपीआरएस की पहचान विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में की गई है।

फरक्का बैराज परियोजना *(Farakka Barrage Project)*

- फरक्का बैराज परियोजना का मुख्यालय पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले में फरक्का में स्थित है। यह मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है।
- फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण की स्थापना 1961 में की गई थी। इसे फरक्का बांध परियोजना परिसर के निर्माण और बाद में प्रचालन एवं रख-रखाव का दायित्व सौंपा गया था।
- परियोजना का निर्माण 1961 में शुरू हुआ था और यह परियोजना 1975 में चालू की गई थी।
- फरक्का बांध परियोजना परिसर का मुख्य उद्देश्य कोलकाता बंदरगाह के संरक्षण और रख-रखाव के लिय 38.8 किलोमीटर लंबी फीडर नहर के ज़रिये भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को समुचित मात्रा में गंगा का जल प्रदान करना था ताकि भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली की व्यवस्था और नौवहन में सुधार लाया जा सके।
- फरक्का में गंगा से भागीरथी को ऊपरी भाग से जल की प्राप्ति होती है जिससे लवणता में कमी आती है तथा कोलकाता और आस-पास के क्षेत्रों को मीठे जल की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। फरक्का में गंगा नदी पर बने रेल एवं सड़क पूल से पूर्वोत्तर क्षेत्र और देश के अन्य भागों के बीच सीधा सड़क और रेल संपर्क कायम होता है।
- फरक्का में हुगली-भागीरथी नदी प्रणाली, फीडर नहर और नेवीगेशन लॉक हल्दिया-इलाहाबाद अंतर्देशीय जलमार्ग (राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1) का हिस्सा है। फीडर नहर फरक्का में एनटीपीसी की 2100 मेगावाट क्षमता की फरक्का सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट (एफएसटीपीसी) को भी जल आपूर्ति करती है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग *(Ganga Flood Control Commission)*

- गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी), मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जिसका मुख्यालय पटना में है।

- इसकी स्थापना 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड के सचिवालय और अधिशासी स्कंध के रूप में बाढ़ से निपटने और गंगा बेसिन राज्यों में उसका प्रबंधन करने के लिये की गई थी।
- गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (जीएफसीसी) अनेक गतिविधियों को अंजाम देता है, जिनमें बाढ़ प्रबंधन की व्यापक योजना तैयार करना और उसे अद्यतन बनाना; बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रमों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन; सड़क और रेल पुलों के अंतर्गत जलमार्गों की पर्याप्तता का मूल्यांकन; गुणवत्ता नियंत्रण और रख-रखाव के लिये दिशानिर्देश तैयार करना; केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित सभी बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रमों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित महत्त्वपूर्ण प्रबंधन कार्यक्रमों की निगरानी शामिल है।

बेतवा नदी बोर्ड *(Betwa River Board)*

- राजघाट बांध परियोजना और पावर हाउस के संचालन के लिये बेतवा नदी बोर्ड (बीआरबी) की स्थापना 1976 में की गई थी।
- परियोजना प्राधिकरण ने बेतवा नदी बोर्ड अधिनियम, 1976 के समग्र मार्गदर्शन के अंतर्गत परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया।
- इस परियोजना के लाभ और लागत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों द्वारा समान रूप में साझा किये जाते हैं।
- रेडियल द्वारों (Gates) की संस्थापना के साथ शिखर तक बांध का निर्माण पूरा किया गया। उसके बाद से दोनों राज्यों में विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिये पानी नियमित रूप से इंपाउंडिंग (भंडारण) की जा रही है।
- राजघाट बांध द्वारा निर्मित जलाशय को 'रानी लक्ष्मीबाई सागर' का नाम दिया गया है।
- 'राजघाट पावर हाउस' उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश विद्युत बोर्डों का साझा उद्यम है, जिसमें राजघाट बांध के किनारे पर 3 × 15 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाले पावर हाउस का निर्माण शामिल है। परियोजना की लागत को योजना आयोग (वर्तमान नीति आयोग) द्वारा मंजूरी दी गई थी।

सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति *(Sardar Sarovar Construction Advisory Committee)*

सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति (एसएससीएसी) का गठन भारत सरकार द्वारा नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) के निर्देशों के साथ 1980 में किया गया था।

सरदार सरोवर परियोजना की वर्तमान स्थिति (Present Status of Sardar Sarovar Project)

- प्रमुख बांध का निर्माण कार्य अप्रैल 1987 में शुरू हुआ था। उच्चतम न्यायालय में मुकदमे, आर एंड डी और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के कारण बांध के स्पिलवे ब्लाकों का निर्माण पूर्ण स्तर तक नहीं किया जा सका।
- दिसंबर 2006 से स्पिल व ब्लॉकों की वर्तमान ऊँचाई 121.92 मीटर है। पिछले वर्षों में सरदार सरोवर निर्माण परामर्श समिति (एसएससीएसी) ने दोनों प्रतिभागी राज्यों की पूर्ण संतुष्टि के अनुसार परियोजना से संबंधित सभी तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक मामलों में प्रभावकारी योगदान किया है।
- यूनिट 1 और यूनिट 3 संबंधित अधिसंख्य कार्य पूरे कर लिये गए हैं। यह उपलब्धि अनेक बैठकों, विचार-विमर्शों/समझौते और अंतर-विभागीय तथा अंतर्राज्यीय वार्त्ताओं के ज़रिये हासिल की गई है।

तुंगभद्रा बोर्ड *(Tungabhadra Board)*

- तुंगभद्रा बोर्ड की स्थापना 1953 में की गई थी। सौंपे गए कार्यों का निर्वहन करते हुये बोर्ड को किसी राज्य सरकार के समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- यह नियम बना सकता है और अपना कार्य स्वतंत्र रूप से संचालित करता है।
- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक की सरकारें समझौते के तहत स्वीकृत अनुपात में धन प्रदान करती हैं और तय शर्तों के अनुसार विभिन्न निर्दिष्ट पदों पर स्टाफ नियुक्त करती हैं।

ऊपरी यमुना नदी बोर्ड *(Upper Yamuna River Board)*

- 'ऊपरी यमुना' से अभिप्राय है- उत्पत्ति स्थल यमुनोत्री से दिल्ली में ओखला बांध तक यमुना की पहुँच।
- इस बेसिन में पड़ने वाले राज्यों को जलापूर्ति और उसके नियमन के लिये ऊपरी यमुना नदी बोर्ड का गठन किया गया।
- नवगठित उत्तराखंड राज्य को भी बाद में बोर्ड में शामिल कर लिया गया। ऊपरी यमुना बोर्ड मंत्रालय के अंतर्गत एक अधीनस्थ कार्यालय है।

ब्रह्मपुत्र बोर्ड *(Brahmaputra Board)*

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है, जिसकी स्थापना ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट क्षरण प्रबंधन के उपायों की आयोजना और कार्यान्वयन और संबद्ध मामलों के लिये की गई थी।
- बोर्ड ने 1982 में गुवाहाटी मुख्यालय से काम करना शुरू किया था। ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक दोनों नदी घाटियाँ शामिल हैं और यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों, सिक्किम और ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आने वाले पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग को कवर करता है।
- बोर्ड के प्रमुख कार्यों में बाढ़ नियंत्रण, तटबंध क्षरण की रोकथाम के बारे में सर्वेक्षण और अन्वेषण करना तथा वृहद् योजना (मास्टर प्लान) तैयार करना तथा ब्रह्मपुत्र और बराक नदी प्रणाली में बहाव में आने वाली रूकावटों को दूर करना, इन नदियों के जल संसाधनों का विकास करना और उन्हें सिंचाई, पनबिजली, नौवहन और अन्य लाभदायक प्रयोजनों के लिये इस्तेमाल में लाना शामिल है।
- ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने कुल मिलाकर 57 मास्टर प्लान तैयार किये।
- बोर्ड ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन (Basin) में और मेघालय में दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में बहुउद्देशीय नदीघाटी परियोजनाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण का कार्य पूरा कर चुका है।
- बोर्ड ने पूर्वोत्तर हाइड्रोलिक और अनुषंगी अनुसंधान संस्थान (नेहारी) की स्थापना उत्तरी गुवाहाटी के रुद्रेश्वर में की है।

- ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने बाढ़ और तटबंध क्षरण की रोकथाम के लिये कार्यक्रम शुरू किये हैं।
- केंद्र सरकार की वित्तीय सहायता से 'बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत' सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में शुरू किये गए विभिन्न कार्यक्रमों की निगरानी का कार्य भी ब्रह्मपुत्र बोर्ड को सौंपा गया है।

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी *(National Water Development Agency)*

- राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) की स्थापना पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक पंजीकरण समिति के रूप में 1982 में की गई थी। इसे राष्ट्रीय संदर्श योजना के प्रायद्वीपीय घटक के अंतर्गत नदियों को जोड़ने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।
- एनडब्ल्यूडीए सहायता अनुदान के ज़रिये पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है। बाद में 1990–91 में एनडब्ल्यूडीए सोसायटी ने हिमालयी घटक में भी अध्ययन शुरू करने का संकल्प लिया।
- **एजेंसी के मुख्य लक्ष्यों में निम्नांकित शामिल हैं:**
 - जल संसाधन विकास के लिये राष्ट्रीय संदर्श के हिस्से के रूप में प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास घटकों के बीच संभावित संपर्क कायम करने के प्रस्ताव की व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिये संभावित जलाशय स्थलों और अंतर-संपर्क स्थलों पर विस्तृत सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्यों को अंजाम देना;
 - प्रायद्वीपीय नदी विकास और हिमालयी नदी विकास संबंधी कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करना;
 - राज्यों द्वारा प्रस्तावित राज्यांतरिक संपर्कों के बारे में पूर्व व्यवहार्यता/व्यवहार्यता/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण *(Narmada Control Authority)*

- नर्मदा जल विवाद अधिकरण (एनडब्ल्यूडीटी) के निर्णय के अनुपालन में भारत सरकार ने 1980 में नर्मदा जल कार्यक्रम तैयार किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण और समीक्षा समिति का गठन किया गया, ताकि प्राधिकरण के निर्णयों और निर्देशों को भलीभाँति कार्यान्वित किया जा सके।
- नर्मदा समीक्षा समिति का व्यय संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर में है। इसके क्षेत्रीय एवं संपर्क कार्यालय- भोपाल, वडोदरा और नई दिल्ली में तथा सब-डिवीज़न कार्यालय मांडला, होशंगाबाद, केवडिया और इंदौर में हैं।
- प्राधिकरण की भूमिका में मुख्य रूप से समन्वय और निर्देशन शामिल है। आमतौर पर सभी द्विपक्षीय मामले संबद्ध राज्यों द्वारा आपसी बातचीत से हल किये जाते हैं और केवल विवाद होने की स्थिति में ही प्राधिकरण को सौंपे जाते हैं।

रीयल टाइम डेटा प्राप्ति प्रणाली *(Real-Time Data Acquisition System)*

एनडब्ल्यूडीटी निर्णय के अनुसार नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ नियंत्रण की एक कारगर प्रणाली की स्थापना, रखरखाव और प्रचालन के लिये उचित निर्देश जारी करेगा। इसके अंतर्गत मूसलाधार वर्षा की जानकारी प्रदान करना और दूरसंचार प्रणाली की स्थापना शामिल है।

राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान *(National Institute of Hydrology)*

- राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (एनआईएच) की स्थापना 1978 में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (भारत सरकार) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।
- यह देश में अनुसंधान और विकास का प्रमुख संस्थान है, जो जलविज्ञान और जल संसाधन विकास के सभी पहलुओं के बारे में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और कार्यनीतिक अनुसंधान संचालित करता है और तत्संबंधी सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय आदि कार्य करता है।
- संस्थान का मुख्यालय रूड़की (उत्तराखंड) में है, जिसके विभिन्न भागों में क्षेत्र संबंधित अनुसंधान को कवर करने के लिये संस्थान के 4 क्षेत्रीय कार्यालय- बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और भोपाल में स्थित है। इसके अतिरिक्त गुवाहाटी और पटना में दो बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र कार्यरत हैं।
- **संस्थान के लक्ष्य इस प्रकार हैं:**
 - जलविज्ञान के सभी पहलुओं के बारे में व्यवस्थित और वैज्ञानिक कार्य संचालित करना और उनमें सहायता, प्रोत्साहन और समन्वय स्थापित करना;
 - जलविज्ञान के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना और साझा कार्यक्रम आयोजित करना;
 - समिति के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये अनुसंधान और संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना एवं रखरखाव तथा उसमें पुस्तकों, समीक्षाओं, पत्रिकाओं और अन्य संबद्ध प्रकाशनों की व्यवस्था करना;
 - अन्य सभी ऐसे कार्य करना, जो समिति संस्थान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिये आवश्यक, अनुषंगी या अनुकूल समझती हो।
- संस्थान ने जलविज्ञान, जल गुणवत्ता, मृदा जल, दूर संवेदन और जीआईएस अनुप्रयोगों, हिम एवं हिमनद, भू-जल की संख्यात्मक मॉडलिंग और हाइड्रोलिक उपकरणों के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रयोगशाला सुविधाएँ स्थापित की हैं।
- संस्थान जल विज्ञान के विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, मानव संसाधन विकास और संस्थागत विकास के लिये उत्कृष्टता केंद्र के रूप में काम करता है और संबद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग के ज़रिये इस्तेमालकर्त्ता द्वारा परिभाषित, मांग प्रेरित अनुसंधान संचालित करता है।
- राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के महत्त्वपूर्ण योगदानों में शहरों में जलापूर्ति बढ़ाने और जल प्रबंधन की तात्कालिक समस्याओं के समाधान के

लिये अध्ययन, नदी-तट सफाई, जलविद्युत परियोजनाओं के लिये हिमालयी नदियों की धारा प्रवाह में हिमनद का योगदान बढ़ाने, झीलों के लिये जल उपलब्धता अध्ययन, तटवर्ती भू-जल गतिशीलता और प्रबंधन, जलसंभर विकास, शहरों में वर्षा जल निकासी नेटवर्क, बाढ़ क्षेत्र मानचित्रण और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान, सूखे का आकलन और प्रमुख शहरों में जल गुणवत्ता मूल्यांकन शामिल है।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड *(National Project Construction Corporation Limited)*

- राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (एनपीसीसी) की स्थापना 1957 में एक प्रमुख निर्माण कंपनी के रूप में की गई थी।
- इसका लक्ष्य देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक ढाँचे का निर्माण करना है। एनपीसीसी ताप और जलविद्युत परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं, औद्योगिक ढाँचों, भवन निर्माण, आवास, सड़कें, पूल और ढाँचागत परियोजनाओं के लिये सिविल कार्यों के निष्पादन हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शी सेवाओं के संदर्भ में आईएसओ 9001:2008 की गुणवत्ता अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
- अपने अस्तित्व के 59 वर्षों के दौरान निगम कई राष्ट्रीय परियोजनाओं को अवधारणा से लेकर चालू करने के स्तर तक सफलापूर्वक पूरा करने से संबद्ध रहा है।
- राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड को आर्थिक अध्ययन संस्थान द्वारा 'उद्योग रत्न पुरस्कार 2015' और 'उत्कृष्टता पुरस्कार 2015' से सम्मानित किया गया। निगम को आईसीआरए द्वारा ए + रेटिंग भी प्रदान की गई है।

परामर्शी सेवाएँ *(Consultancy Services)*

- परामर्शी सेवाओं ने नवाचार और परंपरागत क्षेत्रों में कीर्तिमान कायम किया है और राष्ट्र की विकास प्रक्रिया में प्रभावशाली योगदान किया है।
- विश्वभर में स्वस्थ विकास की बढ़ती प्रवृत्तियों ने उच्च कोटि के कार्यों हेतु परामर्शदाताओं की सेवाओं की मांग पैदा की है और व्यावसायिक भागीदारी की आवश्यकता ने परामर्शदाताओं के क्षेत्र का विस्तार किया है।
- ग्राहकों के बीच यह जागरूकता बढ़ी है कि लोगों की आकांक्षाएँ पूरी करने के लिये परामर्शदाताओं की सेवाएँ लेने से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और समय पर कार्य पूरा करने में मदद मिलती है।
- भाखड़ा बांध, हीराकुड बांध, नागार्जुन बांध और दंतेवाड़ा बांध जैसी कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाओं ने विश्व की सबसे बड़ी परियोजनाओं में स्थान हासिल किया है।
- अग्रणी कार्यों को अंजाम देने वाले इंजीनियरों की विशेषज्ञता का उपयोग करने और अन्य विकासशील देशों के साथ ज्ञान और अनुभव साझा करने और उसके बदले प्रौद्योगिकी के निर्यात के ज़रिये विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये भारत सरकार ने जल एवं विद्युत परामर्शी सेवाओं (डब्ल्यूएपीसीओएस) की स्थापना की।
- डब्ल्यूपीसीओएस ने भारतीय इंजीनियरों का विविध भौगोलिक और जलवायु क्षेत्रों में काम करने के अवसर प्रदान किये, जिससे भारत के ज्ञान और विशेषज्ञता में वृद्धि हुई।
- विश्व में भारत की पहचान किफायती तकनीकी जानकारी और समर्पित तकनीकी कार्मिक प्रदान करने के रूप में हुई है।
- विकासशील देशों के साथ दीर्घकालिक मित्रता कायम करने के लिये कूटनीतिक प्रयास किये गए और परामर्शी सेवाओं ने बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करते हुए आर्थिक विकास में अपना योगदान किया।
- कंपनी भारत और विदेश में विकास परियोजनाओं के लिये विचार से लेकर उन्हें चालू किये जाने तक सभी प्रकार की परामर्शी सेवाएँ प्रदान करती हैं।

अभ्यास-प्रश्न

1. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन राष्ट्रीय जल मिशन से संबंधित है/हैं?
 1. राष्ट्रीय जल मिशन एनएपीसीसी (NAPCC) के अंतर्गत तय किये गए मिशनों में से एक है।
 2. एनडब्ल्यूएम (NWM) वेब पोर्टल राष्ट्रीय जल मिशन का एक स्वतंत्र वेब पोर्टल है।
 3. राष्ट्रीय जल मिशन का प्रमुख लक्ष्य जल का संरक्षण, उसकी बर्बादी में कमी लाना है।

 कूट:
 (a) केवल 1 (b) केवल 3
 (c) 2 और 3 (d) 1, 2 और 3

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. देश में जल संसाधनों के संरक्षण, विकास और बेहतर प्रबंधन के लिये राष्ट्रीय जल नीति, 2012 अपनाई गई।
 2. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (NWRC) की स्थापना 1992 में की गई थी।
 3. 'नमामि गंगे' कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा नदी की स्वच्छता और संरक्षण के सभी प्रयासों को एकत्रित किया गया है।

 उपर्युक्त मे से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 3 (d) इनमें से कोई नहीं।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन जलभृत (Aquifer) मापन और प्रबंधन योजना से संबंधित नहीं है:
 (a) जलभृत भू-जल की ऐसी प्राकृतिक चट्टानी परतें हैं, जो पानी को किफायती ढंग से भंडारित और संरक्षित करती हैं।
 (b) 12वीं पंचवर्षीय योजना में सीजीडब्ल्यूबी ने राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना प्रारंभ की।
 (c) सीजीडब्ल्यूबी ने 9वीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान भू-जल के कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संग्रह योजनाएँ चलाईं।
 (d) इसके प्रमुख लक्ष्यों में प्राथमिकता क्षेत्रों में 1 : 50,000 स्केल पर थ्री डी जलभृतों का सीमांकन करना है।

4. सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिये:

सूची-I	सूची-II
A. राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् (NWRC)	1. 1983
B. राष्ट्रीय जल बोर्ड	2. 1990
C. फरक्का बैराज प्राधिकरण	3. 1961
D. गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग (GFCC)	4. 1972

कूट:

	A	B	C	D
(a)	1	2	3	4
(b)	2	1	3	4
(c)	4	3	1	2
(d)	3	1	4	2

5. **कथन (A):** नर्मदा समीक्षा समीति का व्यय संबद्ध राज्यों द्वारा वहन किया जाता है।
 कारण (R): नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का मुख्यालय मांडला में है।
 नीचे दिये गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिये:
 (a) A तथा R दोनों सही हैं एवं R, A की सही व्याख्या करता है।
 (b) A तथा R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं करता है।
 (c) A सही है, परंतु R गलत है।
 (d) A गलत है, परंतु R सही है।

6. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत देश में बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
 2. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के लक्ष्यों में खेतों में पानी की पहुँच बढ़ाना तथा खेती योग्य भूमि का विस्तार करना आदि शामिल है।

 उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

7. केंद्रीय भू-जल बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 1. केंद्रीय भू-जल बोर्ड (CGWB) एक बहु-विषयी वैज्ञानिक संगठन है।
 2. बोर्ड भूमिगत जल के विभिन्न पहलुओं के बारे में विशेष अध्ययन करता है।

 कूट:
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) इनमें से कोई नहीं।

8. 'ब्रह्मपुत्र बोर्ड' के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन असत्य है?
 (a) ब्रह्मपुत्र बोर्ड एक स्वायत्त निकाय है।
 (b) ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने कुल मिलाकर 67 मास्टर प्लान और 15 अतिरिक्त प्लान तैयार किये हैं।
 (c) बोर्ड ने पूर्वोत्तर हाइड्रोलिक और अनुषंगी अनुसंधान संस्थान (नेहरी) की स्थापना उत्तरी गुवाहाटी के रुद्रेश्वर में की है।
 (d) ब्रह्मपुत्र बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी घाटियाँ शामिल हैं।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
 1. फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण की स्थापना 1963 में की गई थी।
 2. फरक्का में हुगली-भागीरथी नदी प्रणाली, फीडर नहर और नेवीगेशन लॉक हल्दिया-इलाहाबाद अंतर्देशीय जलमार्ग का हिस्सा है।

 उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?
 (a) केवल 1 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

10. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन 'जल क्रांति अभियान' से संबंधित नहीं है/हैं?
 1. जल संसाधन संरक्षण और इसके प्रबंधन में परंपरागत ज्ञान अपनाने/इस्तेमाल करने को प्रोत्साहित करना।
 2. ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा के ज़रिये आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना।

 कूट:
 (a) केवल 1
 (b) केवल 2
 (c) 1 और 2 दोनों
 (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरमाला

1. (d)	2. (b)	3. (c)	4. (a)	5. (c)
6. (c)	7. (c)	8. (b)	9. (a)	10. (d)

27

कल्याण
(Welfare)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय देशवासियों के कल्याण, सामाजिक न्याय तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग, बुजुर्ग और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के शिकार तथा अन्य उपेक्षित एवं वंचित लोगों के सशक्तीकरण के लिये उत्तरदायी है।
- मंत्रालय दो विभागों में बाँट दिया गया है-
 (i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग।
 (ii) दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकार संपन्न बनाने का विभाग।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण (Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes)

अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिये संविधान में अनेक प्रावधान किये गए हैं। निम्नलिखित दो कानून विशेष रूप से– 1. छुआछूत और 2. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार रोकने के उद्देश्य से बनाये गए हैं।

नागरिक अधिकार संरक्षण *(Protection of Civil Rights)*

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का पालन करते हुए छुआछूत (अपराध) कानून, 1955 बनाया गया।
- इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और वर्ष 1976 में इसे नया नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, 1955' दिया गया। इस कानून के अंतर्गत नियमों, यानी 'नागरिक अधिकार संरक्षण नियमों, 1977' को 1977 में अधिसूचित किया गया।
- यह कानून पूरे भारत में लागू हुआ और इसमें छुआछूत के लिये सज़ा की व्यवस्था की गई।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) अधिनियम *[Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act]*

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) कानून, 1989 को 1990 में लागू किया गया।
- इस कानून का उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के ख़िलाफ़ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा किसी व्यक्ति के द्वारा अपराधों को रोकना था।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2015 और 2016

- इसके अंतर्गत कुछ नए अपराधों को शामिल किया गया है और वर्तमान को अलग ढंग से व्यक्त किया गया है।
- अजा. और अजजा. के सदस्यों के ख़िलाफ़ अत्याचारों के अपराधों में तेज़ी से मुकदमा चलाने के लिये विशेष अदालतें बनाई गई हैं और सरकारी वकील के बारे में विशेष विवरण प्रदान किया गया है।
- 'पीड़ितों और गवाहों के अधिकारों' के संबंध में एक नया अध्याय शामिल किया गया है।
- राज्यों को कुछ कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं ताकि वे पीड़ितों, उनके आश्रितों और गवाहों को संरक्षण प्रदान करने के लिये आवश्यक प्रबंध कर सकें।
- राहत राशि को बढ़ाकर ₹85,000 से ₹8,25,000 के मध्य कर दिया गया है लेकिन राहत की राशि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी।
- स्वीकार्य राहत का भुगतान 7 दिन के अंदर करना होगा। जाँच और आरोप-पत्र दायर करने का काम 60 दिन के भीतर करना होगा।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग *(National Commission for Scheduled Caste)*

- राष्ट्रीय अजा. और राष्ट्रीय अजजा. आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के अनुच्छेद 383 के अंतर्गत की गई थी। उसे 89वें संविधान (संशोधन) कानून 2003 के बाद दो भागों में, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में विभाजित कर दिया गया।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की निगरानी और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिये ज़िम्मेदार है।
- एनसीएससी के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338(5) में इस प्रकार बताए गए हैं– (क) संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिये लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की जाँच और निगरानी करना और ऐसी सुरक्षा का मूल्यांकन; (ख) अनुसूचित जातियों को अधिकारों और संरक्षण से वंचित करने के संबंध में कुछ विशेष शिकायतों की जाँच करना; (ग) अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भागीदारी और सलाह तथा संघ और किसी राज्य के

28 युवा मामले और खेल (Youth Affairs and Sports)

सामान्य परिचय (General Introduction)

- देश की आबादी में युवा सबसे ऊर्जावान और सक्रिय वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश है।
- यहाँ लगभग 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है।
- देश की आबादी का 27.5 प्रतिशत 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग में है।
- जनसंख्या का यह हिस्सा अपार अवसर प्रदान करता है। इसका लाभ उठाने के लिये जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में श्रम शक्ति में वृद्धि करने की क्षमता हो।
- युवा, पूरी तरह शिक्षित, कुशल तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और हर तरह से सक्षम हों ताकि वे अर्थव्यवस्था में उपयोगी योगदान कर सकें।

राष्ट्रीय युवा नीति *(National Youth Policy)*

- 'राष्ट्रीय युवा नीति' को फरवरी 2014 में लागू किया गया था।
- इसे राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के स्थान पर लाया गया था।
- इस नीति में 15 से 29 वर्ष के व्यक्तियों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है।

युवाओं के लिये योजनाएँ *(Schemes for Youths)*

- युवा कार्यक्रम विभाग, युवाओं के विकास और सशक्तीकरण के लिये कई योजनाएँ चला रहा था।
- विभाग ने सभी योजनाओं के पुनर्गठन/सुदृढ़ीकरण के बड़े कार्यक्रम का बीड़ा उठाया और इसे संपन्न किया।
- अब युवा कार्यक्रम विभाग, निम्न तीन सर्वोत्कृष्ट योजनाओं के तहत ये कार्यक्रम लागू कर रहा है:

क्र.सं.	पूर्व योजना का नाम	नई योजना का नाम
1.	नेहरू युवा केंद्र संगठन (एनवाईकेएस)	इन योजनाओं का एक नई अंब्रेला स्कीम में विलय हुआ जिसे 'राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम' (आरवाईएसके) के नाम से जाना जाता है।
2.	राष्ट्रीय युवा कोर	
3.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम	
4.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	
5.	युवा छात्रावास (वाईएच)	
6.	स्काउट और गाइड संगठनों को सहायता	
7.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एनडीएस)	
8.	राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (एनवाईएलपी)	
9.	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)	राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस)
10.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी)

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम *(Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)*

नेहरू युवा केंद्र संगठन *(Nehru Yuva Kendra Sangathan)*

- नेहरू युवा संगठन (एनवाईकेएस) की स्थापना 1972 में की गई थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व को निखारना है।
- उनमें नेतृत्व के गुणों का विकास करना और उन्हें राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में लगाना है।
- संस्थान साक्षरता तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण, स्वच्छता, साफ-सफाई, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, ग्रामीण विकास, कौशल विकास जैसी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

राष्ट्रीय युवा कोर *(National Youth Corps)*

- राष्ट्रीय युवा कोर योजना 2010-11 में शुरू की गई थी।
- इसे राष्ट्रीय युवा केंद्र संस्थान के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
- इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं– ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह बनाना जिनका झुकाव और जज़्बा राष्ट्र निर्माण के कार्यों के प्रति है।
- समावेशी विकास (सामाजिक और आर्थिक) हासिल करने में मदद करना।
- अपरिवर्तक समूह और साथी समूह शिक्षक के रूप में कार्य करना।

29 राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेश (States and Union Territories)

अरुणाचल प्रदेश

क्षेत्रफल: 83,743 वर्ग किमी., **जनसंख्या:** 1,383,727 (जनगणना 2011 के अनुसार), **कुल ज़िले:** 21, **राजधानी:** ईटानगर, **लिंगानुपात:** 938, **साक्षरता:** 65.38 प्रतिशत, **मुख्य भाषाएँ:** अंग्रेज़ी, मोनपा, मिजी, अका आदि।

- पहले अरुणाचल प्रदेश को 'North–East Frontier Agency' (NEFA) कहा जाता था।
- 20 जनवरी, 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया तथा 20 फरवरी, 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला।
- अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर और उत्तर-पूर्व में चीन, पश्चिम में भूटान तथा पूर्व में म्याँमार से लगती है, इसलिये यह भारत के लिये सामरिक महत्त्व रखता है।
- राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है।

वन्यजीव अभयारण्य

कामलांग वन्यजीव अभयारण्य, ईटानगर वन्यजीव अभयारण्य, पखुई वन्यजीव अभयारण्य, ईगलनेस्ट वन्यजीव अभयारण्य आदि।

राष्ट्रीय पार्क

नामदफा नेशनल पार्क, मॉलिंग नेशनल पार्क, सेसा ऑर्किड अभयारण्य, दिहांग-दिबांग बायोस्फीयर रिज़र्व।

प्रमुख नदियाँ

कामेंग, सुबनसिरी, सियांग (ब्रह्मपुत्र) लोहित और तिरप।

असम

क्षेत्रफल: 78,438 वर्ग किमी., **जनसंख्या:** 31,205,576 (जनगणना 2011 के अनुसार), **कुल ज़िले:** 33, **राजधानी:** दिसपुर, **लिंगानुपात:** 958, **साक्षरता:** 72.19 प्रतिशत, **मुख्य भाषाएँ:** असमिया, बोडो, कार्बी।

- असम को 'पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी' तथा 'पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार' भी कहा जाता है।
- असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान देशों के साथ मिलती है।

नोट: बिहू असम में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है।

वन एवं वन्यजीव

- असम अपनी वन संपदा, जीव-जंतुओं तथा वनस्पतियों के लिये प्रसिद्ध है।
- असम में कुल वन क्षेत्र राज्य के समस्त भू-भाग का लगभग 35.22 प्रतिशत है।
- काज़ीरंगा नेशनल पार्क-एक सींग वाले गैंडे के लिये तथा मानस राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिये विश्व प्रसिद्ध है।

उद्योग

- राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में चाय प्रधान उद्योग है।
- असम में 4 तेलशोधन कारखाने कार्यरत हैं जिसमें से एक डिग्बोई में स्थित है।
- राज्य में कई किस्म के रेशम का उत्पादन किया जाता है (ईरी, मूगा और टसर आदि)।

प्रमुख पर्यटन स्थल

कामाख्या मंदिर, उमानंदा, नवग्रह मंदिर, वशिष्ठ आश्रम, डोल गोविंद मंदिर, गांधी मंडप, शुक्रेश्वर मंदिर, गीता मंदिर, मदन कामदेव मंदिर तथा सरायघाट पुल आदि।

बिहार

क्षेत्रफल: 94,163 वर्ग किमी., **जनसंख्या:** 104,099,452 (जनगणना 2011 के अनुसार), **कुल ज़िले:** 38, **राजधानी:** पटना, **लिंगानुपात:** 918, **साक्षरता:** 61.80 प्रतिशत, **मुख्य भाषाएँ:** हिंदी तथा उर्दू (स्थानीय भाषा- भोजपुरी, मगही, मैथिली आदि)

कृषि

- राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलें धान, गेहूँ, मक्का तथा दालें हैं।
- राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 6.87 प्रतिशत भाग पर वन पाये जाते हैं।

प्रमुख उद्योग

- मुज़फ्फरपुर तथा मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का रेलवे वैगन प्लांट;
- बरौनी स्थित भारतीय तेल निगम का तेल शोधक कारखाना;
- बरौनी स्थित HPCL तथा अमझोर स्थित पाइराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल्स लिमिटेड राज्य के प्रमुख उर्वरक संयंत्र;
- हाजीपुर में दवा कारखाना;
- औरंगाबाद तथा पटना में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग;
- बंजारी में कल्याणपुर सीमेंट का कारखाना।

प्रमुख पर्यटन स्थल

बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित राजगीर, नालंदा, वैशाली, पावापुरी तथा बोधगया; विक्रमशिला; सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा; कैमूर स्थित मुंडेश्वरी मंदिर; रोहतासगढ़ का किला; नालंदा स्थित प्रमुख जैन स्थल कुंडलपुर; नालंदा के नेपुरा में स्थित ग्रामीण पर्यटन स्थल; लौरिया नंदनगढ़।

30 सामान्य सूचनाएँ (General Information)

भारत के राष्ट्रपति

नाम	पदावधि
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1884–1963)	26 जनवरी, 1950 से 13 मई, 1962
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	13 मई, 1962 से 13 मई, 1967
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	13 मई, 1967 से 03 मई, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980) (कार्यवाहक)	03 मई, 1969 से 20 जुलाई, 1969
न्यायमूर्ति मुहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992) (कार्यवाहक)	20 जुलाई, 1969 से 24 अगस्त, 1969
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	24 अगस्त, 1969 से 24 अगस्त, 1974
डॉ. फखरुद्दीन अली अहमद (1905–1977)	24 अगस्त, 1974 से 11 फरवरी, 1977
बी.डी. जत्ती (1912–2002) (कार्यवाहक)	11 फरवरी, 1977 से 25 जुलाई, 1977
नीलम संजीव रेड्डी (1913–1996)	25 जुलाई, 1977 से 25 जुलाई, 1982
ज्ञानी जैल सिंह (1916–1994)	25 जुलाई, 1982 से 25 जुलाई, 1987
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	25 जुलाई, 1987 से 25 जुलाई, 1992
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	25 जुलाई, 1992 से 25 जुलाई, 1997
डॉ. के.आर. नारायणन (1920–2005)	25 जुलाई, 1997 से 25 जुलाई, 2002
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (1931–2015)	25 जुलाई, 2002 से 25 जुलाई, 2007
प्रतिभा देवीसिंह पाटिल (जन्म 1934)	25 जुलाई, 2007 से 25 जुलाई, 2012
प्रणब मुखर्जी (जन्म 1935)	25 जुलाई, 2012 से 25 जुलाई, 2017
रामनाथ कोविंद (जन्म 1945)	25 जुलाई, 2017 से अब तक

भारत के उप-राष्ट्रपति

नाम	पदावधि
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888–1975)	1952–1962
डॉ. ज़ाकिर हुसैन (1897–1969)	1962–1967
वराहगिरि वेंकट गिरि (1894–1980)	1967–1969
गोपाल स्वरूप पाठक (1896–1982)	1969–1974
बी.डी. जत्ती (1912–2002)	1974–1979
न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह (1905–1992)	1979–1984
आर. वेंकटरमन (1910–2009)	1984–1987
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (1918–1999)	1987–1992
के.आर. नारायणन (1920–2005)	1992–1997
कृष्णकांत (1927–2002)	1997–2002
भैरों सिंह शेखावत (1923–2010)	2002–2007
मोहम्मद हामिद अंसारी (जन्म 1937)	2007–2017
एम. वैंकेया नायडू (जन्म 1949)	2017 से अब तक

भारत के प्रधानमंत्री

नाम	पदावधि
पं. जवाहरलाल नेहरू (1889–1964)	15 अगस्त, 1947 से 27 मई, 1964
गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	27 मई, 1964 से 09 जून, 1964
लाल बहादुर शास्त्री (1904–1966)	09 जून, 1964 से 11 जनवरी, 1966
गुलजारी लाल नंदा (1898–1998) (कार्यवाहक)	11 जनवरी, 1966 से 24 जनवरी, 1966
इंदिरा गांधी (1917–1984)	24 जनवरी, 1966 से 24 मार्च, 1977
मोरारजी देसाई (1896–1995)	24 मार्च, 1977 से 28 जुलाई, 1979
चरण सिंह (1902–1987)	28 जुलाई, 1979 से 14 जनवरी, 1980
इंदिरा गांधी (1917–1984)	14 जनवरी, 1980 से 31 अक्तूबर, 1984
राजीव गांधी (1944–1991)	31 अक्तूबर, 1984 से 02 दिसंबर, 1989
विश्वनाथ प्रताप सिंह (1931–2008)	02 दिसंबर, 1989 से 10 नवंबर, 1990
चन्द्रशेखर (1927–2007)	10 नवंबर, 1990 से 21 जून, 1991

दृष्टि The Vision

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम
Distance Learning Programme

उपलब्ध

इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप घर बैठे दृष्टि संस्थान द्वारा तैयार परीक्षोपयोगी पाठ्य-सामग्री मंगवा सकते हैं। यह पाठ्य-सामग्री, विशेष रूप से ऐसे अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर ही तैयार की गई है जो किसी कारण से दिल्ली आकर कक्षाएँ करने में असमर्थ हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा और राज्य सेवा (मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड पी.सी.एस.) परीक्षा की पाठ्य-सामग्री, नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप उपलब्ध कराई जाएगी।

UPSC के लिये

यह पाठ्य-सामग्री सिविल सेवा परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप है और इसे विभिन्न समसामयिक घटनाओं, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं समितियों की रिपोर्टों के माध्यम से अद्यतन (up-to-date) एवं परीक्षोपयोगी बनाया गया है।

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 Booklets) (₹12,000/-)

सामान्य अध्ययन
(मुख्य परीक्षा)
(23 Booklets) (₹10,000/-)

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(27 + 3 + 8 Booklets) (₹15,000/-)

हिन्दी साहित्य
(वैकल्पिक विषय) (₹6,000/-)

दर्शनशास्त्र
(वैकल्पिक विषय) (₹5,000/-)

इतिहास
(वैकल्पिक विषय) (₹7,000/-)

MP PSC के लिये

मध्य प्रदेश पी.सी.एस. (राज्य सेवा) परीक्षा के नवीन पाठ्यक्रम के अनुरूप हमने डी.एल.पी. प्रोग्राम तैयार किया है। इसमें मध्य प्रदेश एवं भारत सरकार की प्रामाणिक रिपोर्टों तथा सामान्य अध्ययन की जटिल एवं बिखरी पाठ्य-सामग्रियों का इस प्रकार से संकलन किया गया है जिससे अभ्यर्थियों की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी एक साथ हो जाती है। यह पाठ्य-सामग्री नि:संदेह आपकी सफलता में मील का पत्थर साबित होगी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 36 बुकलेट्स दी जाएंगी

सामान्य अध्ययन + सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 + 8 Booklets) (₹11,000/-)

सामान्य अध्ययन
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(28 Booklets) (₹10,000/-)

सीसैट
(प्रा.+मुख्य परीक्षा)
(8 Booklets) (₹2,500/-)

मध्य प्रदेश डी.एल.पी. की सफलता के पश्चात्
तीन नए राज्यों (राजस्थान, बिहार और उत्तराखंड) की डी.एल.पी. की शुरुआत

दृष्टि पब्लिकेशन्स की प्रमुख पुस्तकें



Drishti Publications

641, Ist Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
Ph.: 011-47532596, 87501 87501
Website: www.drishtipublications.com, www.drishtiias.com
E-mail: booksteam@groupdrishti.com

ISBN 978-81-936314-8-5

9 788193 631485

मूल्य : ₹ 250